पृथ्वी संविधान

पृथ्वी के संघराज्य के संविधान

FEBRUARY 27, 2019

विश्व संविधान और संसद संस्थान
नई दिल्लि, भारत

विषय-सूचा

उद्देशिका

अनुच्छेद-1: विश्व सरकार के मुख्य कार्य 2

अनुच्छेद-2: विश्व संधराज्य व विश्व सरकार का मूल आकार 2

अनुच्छेद-3: विश्व सरकार के अंग 3

अनुच्छेद-4: विश्व सरकार को प्रदान की गयी विभिन्न शक्तियाँ..... 3

अनुच्छेद-5 : विश्व संसद 6

वर्ग ए : विश्व संसद के कार्य तथा शक्तियाँ
वर्ग बी: विश्व संसद की रचना
वर्ग सी: जनता की सभा
वर्ग डी: राष्ट्रों की सभा
वर्ग ई : काउन्सिलरों की सभा
वर्ग एफ : विश्व सरकार की प्रक्रियाएँ

अनुच्छेद-6 : विश्व कार्यपालक 10

वर्ग ए : विश्व कार्यपालक के कार्य तथा शक्तियाँ
वर्ग बी: विश्व कार्यपालक की रचना या बनावट
वर्ग सी: राष्ट्रमंच
वर्ग डी: कार्यपालक मंत्रीमण्डल
वर्ग ई : विश्व कार्यपालक की प्रक्रियाएं
वर्ग एफ : विश्व कार्यपालक की सीमाएं या प्रतिबन्ध

अनुच्छेद-7 : विश्व प्रशासन 13

वर्ग ए : विश्व प्रशासन के कार्य
वर्ग बी: विश्व प्रशासन की संरचना तथा कार्य प्रणाली
वर्ग सी: विश्व प्रशासन के विभाग

अनुच्छेद-8 : राष्ट्रीय कार्यपालक 15

वर्ग ए : परिभाषा
वर्ग बी: विश्व सिविल सर्वेस प्रशासन
वर्ग सी: विश्व सीमाएं और निर्वाचन प्रशासन
वर्ग डी: सरकारी प्रक्रियाएँ और विश्व समस्याएं का संस्थान
वर्ग ई : शोध और योजना की एजेन्सी
वग एफ: तकनीकी एवं वातावरण के अनुमान का संस्थान
वर्ग जी: विश्व वित्तीय प्रशासन
वर्ग एच: कानूनी समीक्षा आयुक्त

अनुच्छेद-9 : विश्व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार.... 21

वर्ग ए : विश्व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार
वर्ग बी: विश्व उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें

वर्ग सी: विश्व उच्चतम न्यायालय के आसन
वर्ग डी: विश्व न्यायधीशों का समूह
वर्ग ई : विश्व उच्चतम न्यायालय का उच्च की मोहकमा अदालत

अनुच्छेद–10 : प्रवर्तन प्रणाली 24
वर्ग ए : प्रारम्भिक नियम
वर्ग बी: लागू करने का आकार
वर्ग सी: विश्व पुलिस
वर्ग डी: प्रवर्तन के साधन

अनुच्छेद–11 : विश्व ओमबड्समस 27
वर्ग ए : विश्व ओमब्सडमस के कार्य व शक्तियाँ
वर्ग बी: विश्व ओमबड्समस की संरचना

अनुच्छेद–12 : विश्व नागरिक का अधिकार विधेयक या विनिमय पत्र .. 29

अनुच्छेद–13 : विश्व सरकार के निदेशक सिद्धान्त 30

अनुच्छेद–14 : सुरक्षाएँ और आरक्षण 31
वर्ग ए : कुछ सुरक्षाएँ
वर्ग बी: शक्तियों का आरक्षण

अनुच्छेद–15 : विश्व संधीय ज़ोन और विश्व राजधानियाँ 32
वर्ग ए : विश्व संधीय ज़ोन
वर्ग बी: विश्व राजधानिया
वर्ग सी: स्थापना की प्रक्रियाँ

अनुच्छेद–16 : विश्व क्षेत्र व बाहरी सम्बन्ध 33
वर्ग ए : विश्व क्षेत्र
वर्ग बी: बाहरी सम्बन्ध

अनुच्छेद–17 : पारित करना व लागू करना 34
वर्ग ए : विश्व संविधान को पारित करना
वर्ग बी: लागू करने के चरण
वर्ग सी: विश्व सरकार का प्रथम कार्यान्वित चरण
वर्ग डी: विश्व सरकार का द्वितीय कार्यान्वित चरण
वर्ग ई : विश्व सरकार का पूर्ण कार्यान्वित चरण
वर्ग एफ: पारित करने की लागत

अनुच्छेद–18 : संशोधन 41

अनुच्छेद–19 : अस्थाई विश्व सरकार 42
वर्ग ए : विश्व कान्सटीट्यएन्ट सभा द्वारा लिये जाने वाले कार्य
वर्ग बी: तैयारी आयुक्तों के कार्य
वर्ग सी: अस्थाई विश्व संसद की संरचना
वर्ग डी: अस्थाई विश्व कार्यपालक का निर्माण
वर्ग ई : अस्थाई विश्व सरकार की प्रथम क्रियाएँ 46

उद्देशिका

यह समझते हुये कि मानवता आज इतिहास के एक मोड़ पर आ गई है और हम सब एक नई विश्व व्यवस्था की मुडगेरी पर खड़े हैं जो कि एक शांति, सम्पन्नता, न्याय और सुकून के युग को लाने का वादा करता है। इस बात से ज्ञात कि मनुष्य, देश और सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस बात से ज्ञात कि मनुष्य द्वारा विज्ञान और प्रज्ञौगिकी के गलत इस्तमाल ने मानवता को विनाश के खण्डहर पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसका कारण सामूहिक विनाश की क्षमता रखने वाले भयानक हथियारों का निर्माण और भूगर्भ व सामाजिक अव्यवस्था के कारण विनाश की आशंका ज्ञात है कि पुराने सोच की अधिक मिलीट्री द्वारा अधिक सुरक्षा होगी यह एक धोखा है। ज्ञात है कि अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती दूरियाँ दुख व अशान्ति का कारण हैं। इस बात की जिम्मेदारी समझते हुये कि हमें आने वाली पीढ़ी को और मानवता को सम्पूर्ण और निकट विनाश से बचाना है यह हमारा उत्तरदायित्व है। इस बात को समझते हुये व महसूस करते हुये कि सारी मानवता एक है हालाकि हम विभिन्न देशों, जातियों, धर्मों, मान्यताओं और संस्कृतियों से हो सकते हैं और विभिन्न में एकता का सिद्धानत एक नये युग की पहचान है जब युद्ध की जगह शान्ति अँगड़ाई लेगी और धरती की तमाम नियमतें मानव कल्याण के लिये समान रूप से प्रयोग होंगीं और जब मूल मानव अधिकार और उत्तरदायित्व बिना किसी भेदभाव के सभी में बाँटे जायेंगे। इस बात से सचेत कि यह सबसे बड़ा सत्य है कि एक निर्वाचित विश्व सरकार का गठन ही इस पृथवी पर प्राणीमात्र की रक्षा का सबसे बड़ी आशा की किरण है।

अनुच्छेद–1 विश्व सरकार के मुख्य कार्य

1. युद्ध को रोकना, निरस्तीकरण तथा क्षेत्रीय एवं अन्य मतभेदों का निवारण करना जो कि शांति आौर मानव अधिकारों के लिये संकटमय साबित हो सकते हैं।
2. सर्वव्यापी मानव अधिकारों की रक्षा करना जिसमें जीवन, स्वाधीनता, सुरक्षा, लोकतंत्र और सबको जीवन में समान अवसर प्राप्त होना सम्मिलित है।
3. विश्व में सभी व्यक्तियों के लिये वे परिस्थितियाँ प्राप्त करना जिससे समान रूप से आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके व सामाजिक विभिन्नताएँ कम हों।
4. विश्व व्यापार, दूरसंचार, परिवहन, मुद्रा, मानकँ, संसार के संसाधनों का प्रयोग व अन्य विश्व और अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को नियमित करना।

5. पर्यावरण और जीवन के ecological fabric को संकट के हर स्त्रोत से सुरक्षित रखना और उन तकनीकी आविशकारों पर नियन्त्रण रखना जिनका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघता है जिससे कि विश्व मानव के लिये एक सुरक्षित, सुखी और स्वस्थ घर बने।
6. उन समस्याओं के हल खोजना और उन्हें लागू करना जोकि राष्ट्रीय सरकारों की क्षमता के परे हों और जो कि अब विश्व या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर एक चिन्ता का कारण हों या असर करें।

अनुच्छेद–2 विश्व संधराज्य व विश्व सरकार का मूल आकार

1. विश्व संघराज्य एक सर्वव्यापी संघराज्य के रूप में आयोजित किया जायेगा, जिसमें सभी देश व सभी लोग सम्मिलित होंगे, सभी क्षेत्र जो दूसरों के अधीन हों व चारों और का वायुमण्डल भी सम्मिलित है।
2. धरती के संघराज्य की विश्व सरकार का स्वरूप असैनिक होगा, लोकतान्त्रिक गठन होगा व अन्तिम सर्वोच्च उन सभी व्यक्तियों की होगी जोकि धरती पर रहते हैं।
3. विश्व सरकारका प्रभुत्व और शक्तियाँ उस हद तक सीमित रहेंगी जोकि इस संविघान में दी गई है, उन समस्याओं और मामलों पर लागू होंगे जोकि राष्ट्रीय सीमाओं के परे हों, आन्तरिक मामलों को माननीय राज्यों की राष्ट्रीय सरकारों के अघिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जायेगा किन्तु विश्व सरकार के प्रभुत्व के समरूप होगा जिससे विश्व व्यापी मानव अघिकारों की रक्षा की जा सके जैसा कि इस विश्व संविघान में परिभाषित है।
4. विश्व सरकार की मूल सीघी निर्वाचन और प्रशासनिक इकाईयाँ विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद होंगे। कुल विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद होंगे। कुल वियव निर्वाचन और प्रशासनिक 1000 से अधिक नहीं परिभाषित होंगे और वे जन संख्या में लगभग बराबर होंगे व इसका अंतर दस प्रतिशत अधिक या कम होसकता है।
5. समीपस्थ विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों को जोड़ दिया जायेगा जैसा कि ठीक रहे जिससे कि ठीक रहे जिससे निम्न कार्यों के लिये कुल बीस विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र बन जायें किन्तु सीमित नहीं होंगे जिससे कुछ सरकारी अघिकारियों का निर्वाचन अथवा नियुक्ति हो सके, प्रशासनिक कार्यों के लिये। विश्व सरकार के विभिन्न अंगों के गठन के लिये जैसा कि अनुच्छेद – चार में दिया गया है। न्यायपालिकों के कार्यों के लिये, प्रवर्तन प्रणाली, ओमबड्समस और विश्व सरकार के अन्य किसी अंग या संगठन के लिये।
6. विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र परिवर्तनीय अंकों के विश्व निर्वाचन और प्रयाासनिक जनपदों से गठित किया जायेगा ध्यान में रखते हुये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ecological व अन्य तथ्य व जनसंख्या।
7. समीपस्थ विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षत्रों को जोड़ों में मिलाकर ''मैग्ना क्षेत्रों'' का गठन होगा।
8. विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमायें विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों की सीमाओं को नहीं लाँधेंगीं व विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मेल खायेंगी व विश्व सरकार के विभिन्न अंगों को मिलाकर बनेंगीं। विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों की सीमायें मौजूदा राष्ट्रीय सीमाओं से मेल खायें यह आवश्यक नहीं है किन्तु यह उस हद तक एक सी होंगी जितना हो सकेगा।

9. विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों को कम से कम घरती के पाँच महाद्वीपीय विभाजनों में गठित होंगे जिससे कुछ विश्व स्तर के सरकारी अवसरों का निर्वाचन व उनकी नियुक्ति हो सके व विश्व सरकार के कई अंगों और संस्थाओं के कुछ भागों को गठित व कार्यनिर्वित किया जाये जैसा कि आगे दिया गया है। महाद्धिपीय सेमा क्षेत्रों को नहीं पार करेंगी जहाँ तक हो सकेगा। महाद्विपीय विभाजन प्रर्वतनीय अंकों के विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया जायेगा।

अनुच्छेद–3 विश्व सरकार के अंग

1. **विश्व संसद**
2. **विश्व कार्यपालक**
3. **विश्व प्रशासन**
4. Integrative complex
5. **विश्व कानूनी व्यवस्था**
6. **परिवर्तन प्रणाली**
7. **विश्व ओमबडस्मस**

अनुच्छेद–4 विश्व सरकार को प्रदान की गयी विभिन्न शक्तियाँ

(अपने विभिन्न अंगों और संस्थाओं द्वारा प्रयोग की जानी)

1. देशों, क्षेत्रों, जनपदों, हिस्सों और घरती के व्यक्तियों के बीच युद्ध रोकना व सशक्त मुठभेड़ों को रोकना।
2. निरस्तीकरण की देख रेख व पुनः शसत्रीकरण को रोकना, भीषण रूप से विनाश के हथियारों का अधिकार, प्रयोग, खरीद, बेचना, बनाना व डिजाइन करने पर रोक व खतरनाक जानलेवा हथियारों को नियंत्रित करना जैसा कि विश्व संसद निर्णय ले।
3. युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने पर रोक व जागरूक रोकने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव।
4. देशों, व्यक्तियों व घरती के राज्यसंध के अर्न्तगत अन्य इकाईयों के बीच शान्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से झगड़ों और मतभेदों का निवारण करना।
5. सीमा तय करना व इसकी देखरेख और व्यक्तियों का युनाव करवाना।
6. विश्व सरकार में निर्वाच, प्रशासनिक, कानूनी व अन्य कार्यों के लिये जनपदों, क्षेत्रों और विभाजनों की सीमायें निर्धारित करना।
7. विश्व संसद की हर सभा के हर सदस्य के नामांकन और निर्वाचन की कार्यवाई को निचमित रूप देना व परिभाषित करना और सभी विश्व सरकार के अधिकारियों और सदस्यों का नामांकन, निर्वाचन, नियुक्ति और नौकरी की प्रक्रिया को नियमित व परिभाषित करना।
8. विश्व के कानून (विधि) की संहिता बनाना, जिसमें अर्न्तराष्ट्रीय विधियाँ सम्मिलित हैं जोकि विश्व संविधान को अपनाये जाने से पूर्व की हैं किन्तु उसके विपरीत नहीं और जिनकों कि विश्व संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है।
9. तौल (वज़न), माप, गणना (हिसाब किताब) और अभिलेख हेतु विश्व व्यापी मानक निर्धारित करना।

10. विस्तृत पैमाने पर हाने वाली दुर्घटनायें जैसे सूखा, भुखमरी, बीमारी, बाढ़, भूकम्प, समुद्री तुफान, धरती में ecological रुकावट इत्यादि में सहायता प्रदान करना।
11. विश्व संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्न्तगत धरती के नागरिकों के लिये (Bill of rights) अधिकार पत्र में परिभाषित नागरिक स्वाधीनता व मूल मानवीय अधिकारों की जमानत व प्रवर्तन।
12. स्तर परिभाषित करना व विश्व भर में कार्य परिस्थितियाँ, पौष्टिकता, स्वास्थ्य, गृह, मानव रहनसहन, पर्यावरण, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा व अन्य परिस्थितियाँ जोकि विश्व सविधान में अनुच्छेद 13 के अर्न्तगत परिभाषित की गई है।
13. अर्न्तराष्ट्रीय परिवहन, संचार, डाक व्यवस्था व व्यक्तियों के प्रवास को नियमित करना व इसका निरीक्षण।
14. एक देश से दूसरे देश के व्यापार, उद्योग, बड़ी कम्पनियाँ, दुकानदारी, व्यवसायिक नौकरियाँ, मजदूर पूर्ति, वित्त, निवेश और बीमा को नियमित और नियंत्रित रखना।
15. देशों के बीच आयात कर की सुरक्षा व निरीक्षण व अन्य आयात रुकावटों को दूर करना किन्तु उन वस्तुओं पर न्यूनतम कठिनाई होने देना जोकि पिछली व्यवस्था में आयात कर द्वारा सुरक्षित थे।
16. विश्व सरकार के कार्य व आवश्यकताओं के लिये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निधि और राजस्व जुटाना।
17. विश्व वित्तीय, बैकिंग, उधार और बीमा संस्थाओं को स्थापित करना व चलाना जिससे मनुष्य की आवश्यकतायें पूरी हों व विश्व मुद्रा, उधार और विनिमय को स्थापित करना और निकालना।
18. धरती के प्राकृतिक संसाधनों को सारी मानवता की जागीर समझते हुये उनके लिये प्रयोजन बनाना, नियमित तरीके से प्रयोग करना, विकास करना उनकी देखभाल व देबारा उनका प्रयोग करना। पर्यावरण को हर तरह से सुरक्षित रखना जिससे इसका लाभ वर्तमान और भविष्य दोनों पीड़ियों को हो।
19. एक विश्व अर्थिक विकास संगठन को स्थापित करना व इसका परिपालन जिससे विश्व राज्यसंघ के सभी देशों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
20. एक देश से दूसरे देश में फैली समस्यायें जैसे खाद्य अभाव, कृषि उत्पादन उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी का बचाव, कीटाओं की रोकथाम, भोजन, पौष्टिकता, नशीले पदार्थ, विष व रासायनिक कुड़ाकर्कट को नाश करना और उन्हें कार्यान्वित करना।
21. धरती की जीवन दायिनी शक्तियों को देखते हुये बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के साधन विकसित करना और उन्हें लागू करना व जनसंख्या वितसित करना व जनसंख्या वितरण की समस्या को सुलझाना।
22. धरती की जल पूर्ति को विकसित करना, सुरक्षा रखना, नियमित करना व देखभाल करना, अन्तरदेशीय सिंचाई व अन्य जलपूर्ति और नियन्त्रण योजनायें, अर्न्तदेशीय जलपूर्ति समान रूप से आवंटित हो व अन्तरदेशीय जल अथवा नयी दिशा बदलाव के विपरीतार्थक प्रभाव व राष्ट्रीय सीमाओं के अर्न्तगत मौसम नियंत्रण योजनायें।
23. धरती के महासागर और समुद्र तलों को अपनाना, प्रशासन और उनके विकास और संरक्षण करते हुये उनकी व सभी संसाधनों की देखभाल और उन्हें संकटों से सुरक्षा प्रदान करना।

24. धरती के वायुमण्डल को खतरों से सुरक्षित रखना, उसका नियन्त्रण व उसके प्रयोग पर नियमित कार्य।
25. अन्तर गृह व भूमण्डल में खोज व शोध कार्य करवाना, चन्द्रमा पर अपना ही प्रभुत्व व उन सभी उपगृहों पर जोकि पृथ्वी से छोड़े गये हों।
26. विश्वव्यापी ऐयरलाइन, महासागर परिवहन व्यवस्था, अन्तराष्ट्रीय रेलवे और हाईवे, विश्वव्यापी संचार व्यवस्था और अन्तर गृह यात्रा और संचार के साधनों को स्थापित करना, चलाना और/या उनका समन्व्य, महत्वपूर्ण जलमार्गों का नियन्त्रण और उनका प्रशासन।
27. अन्तर-देशीय शक्ति को विकसित करना, चलाना और/या समन्व्य करना या छोटी इकाईयों के नेटवर्क जिसमें सूर्य, वायु, जल, ज्वारभाटा, गरमाई में विभिन्न्ता, चुम्बकीय ताकतों व अन्य सुरक्षित साधनों, लम्बे समय तक काम आने वाली विश्वसनीय उर्जा की पूर्ति।
28. जीवाश्म स्त्रोत से मिलने वाली उर्जा की खान खोदना, उत्पादन, परिवहन व प्रयोग इस हद तक कि उसका दुरुपयोग न हो, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े और वातावरण दूषित न हो और आने वाली कई पीड़ियों तक उनकी पूर्ति होती रहे व झगड़े और मतभेद न पैदा हों।
29. परमाणु उर्जा शोध व परीक्षण और परमाणु शक्ति उत्पादन पर नियन्त्रण और अलग प्रभुत्व बनाना और किसी पर ऐसे परीक्षण व उत्पादन पर प्रतिबन्ध जोकि खतरनाक या हानिकारक है।
30. आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों पर विश्व नियंत्रण जोकि सीमित मात्रा में हों धरती पर अनेकता सेवितरित हो। ऐसे तरीकों को ढूँढना और लागू करना जिससे कूड़ा कम हो व विभिन्न्ताओं को न्यूनतम करें जब विकास या उतपादन उतना न हो जितने में सभी की पूर्ति हो सके।
31. उन तकनीकी आविष्कारों और नवीनकारणों के परीक्षण और आँकने कर प्रतिबन्ध जिसका असर राष्ट्रीय सीमाओं को लाँधता हो जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि इसकी हानियाँ क्या हैं और मानव जाति अथवा पर्यावरण के लिये किस प्रकार खतरनाक है और इसके ऊपर नियंत्रण व नियमित करने कि लिये ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा सके जैसी उपलब्ध हो।
32. हानिकारक तकनीक प्रतिक्रिओं के बदले में सुरक्षित विकल्पों को विकसित करने के लिये प्रबल कार्यक्रम तैयार करना जोकि पर्यावरण, ecological व्यवस्था, मानव स्वास्थ्य व भलाई के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं।
33. तकनीकी विकास अथवा क्षमता, पूँजि समावेश, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्यता, शिक्षा के अवसर, आर्थिक अवसर, तनख्वाह व कीमतें का फ़रक इत्यादि होने से गहन असमानतायें और उससे उत्पन्न राष्ट्रों के परे समस्याओं को सुलझाना। तकनीकी स्थनान्तरण की उन प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करना जिससे मानव जाति की भलाई हो पर्यावरण सुरक्षित रहे और दूरियों को न्यूनतम किया जा सके।
34. विश्व संसद द्वारा परिभाषित की गई प्रक्रियाओं के अर्न्तगत बीच में बोला जाये जबकि या तो अन्तर राज्य हिंसा और अन्तर राज्य समस्यायें हों जो कि विश्व शान्ति और सर्वत्र मानवीय अधिकारों पर चिन्ताजनक प्रभाव डाल रही हों।
35. विश्व विद्यालय की व्यवस्था विकसित की जाये। बिना मतभेदों की एक संचार साधनों की सूची तैयार हो जिससे जात, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय उत्पत्ति और लगाव की वजह से गलत फहमी या झगड़े न हों।

36. एक स्वयंसेवी, असैनिक विश्व सेवा का आयोजन, समन्व्य और/या प्रशासन जोकि मानव कल्याण हेतु कई योजनायें सुचारु रूप से चलायें।
37. एक कल्याण प्रयोग हेतु विश्व भाषा अथवा कार्यालय हेतु विश्व भाषाओं का गठन।
38. विश्व पार्क, जंगली जीव संरक्षण स्थान, प्राकृतिक स्थल व जंगली जगहो की स्थापना व उनकी व्यवस्था।
39. विश्व नागरिकों द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और स्थापित करना जोकि राष्ट्रीय कानून के परे हों और विश्व संविधान द्वारा निषेध न हों।
40. विश्व सरकार के वार्ता और शक्तियों की पूर्ति के लिये विभागों, ब्यूरो, आयुक्तों, संस्थानों, कारपोरेशनों, प्रशासनों और एजनसियों की स्थापना।
41. राष्ट्रीय व स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे सभी रास्तों करो खोलना जोकि मानवता की आवश्यकताओं को आज व आने वाले कल में पूर्ति करें।

अनुच्छेद-5 विश्व संसद

वर्ग ए : विश्व संसद के कार्य तथा शक्तियाँ

1. विश्व संविधान के अनुच्छेद 4 के अर्न्तगत विश्व सरकार को प्रभुत्व के सभी क्षेत्रों के लिये एक विस्तृत विधि व्यवस्था तैयार करना और पर अमल करना।
2. विश्व विधि को आवश्यकता व इच्छुनासार संशोधन करना व त्यागना।
3. विश्व सरकार के बनने के पूर्व बनी अर्न्तराष्ट्रीय विधियों को मानना, संशोधित करना अथवा त्यागना व विश्व विधि और विश्व कानून व्यवस्था को विश्व सरकार के अर्न्तगत संहिता बनाना व सम्मिलित करना।
4. विश्व सरकार के सभी अगों, शाखाओं, विभागों, ब्यूरो, आयुक्तों, संस्थानों, अभिकर्ता कार्यालयों व हिस्सों के विधिपूर्ण कार्य हेतु ऐसे नियंत्रण व निर्देश स्थापित किये जायें जैसी आवश्यकता हो व यह विश्व संविधान के अनुरूप हों।
5. विश्व कार्यपालक द्वारा विश्व सरकार को दिये गये आय व्यय के वार्षिक लेखा की समीक्षा, सुधार व अन्तिम सहमति देना, बजेट, कर, लाइसेन्स, फ़ीस, विश्व के सामाजिक व सार्वजनिक खर्चे जिसमें सामान व नौकरी के दाम सम्मिलित हैं, उधार व पूर्व उधार और अन्य सम्बन्धित साधन के लिये निधि जमा करना और विश्व सरकार के सभी कार्यो के लिये सहमत प्राप्त बजेट के अनुसार धन जोड़ना व आवंटित करना किन्तु संसद के अधिकार के अधीन कि यह जो खर्च नहीं हुआ है या जिसका ठेका नहीं हुआ है उस संशोधित किया जा सकता है।
6. विश्व संविधान के विशिष्ट प्रयोजनों के अधीन, विश्व सरकार के कई अंगों के सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु आवश्यकतानुसार विभाग, ब्यूरो, आयुक्त, संस्थानों, एजेन्सीयों व विश्व सरकार के अन्य हिस्सों का सृष्टिकरण, बदलाव, समाप्ति अथवा सम्मिलित करना।
7. विश्व सरकार के कई अंगों के हिस्से व सभी - बड़े विभागों, आयुक्तों, दफ्तरों (कार्यालयों), एजेन्सियों के मुखियों की नियुक्तियों पर सहमति देना सिवाये उनके जोकि निर्वाचन व सिविल सर्विस प्रक्रिया से चयनित हुये हों।

8. विश्व कार्यपालक के कारणवश किसी सदस्य को कार्य पद से हटाना व विश्व सरकार के किसी अंग, विभाग, कायर्चालय, ऐजेन्सी व हिस्से के किसी निर्वाचित नियुक्त मुख्य अवसर को हटाना अधीनस्थ विशिष्ट कार्यालयों से सम्बन्धित विश्व सरकार के विशष्ट प्रयोजनों।
9. विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों की सीमाओं को परिभाषित करना और उनको सुधार, विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र और मैग्ना क्षेत्र व महाद्वीपीय भाग।
10. विश्व संविधान के अनुच्छेद 17 और 19 के अनुसार परिभाषित सामयिक विश्व संसद के प्रथम कार्यान्वित चरण, द्वितीय कार्यान्वित चरण व पूर्ण कार्यान्वित चरण में दिये गये प्रबनधों के लागू होने के लिये एक अनुसूची तैयार करना।
11. विश्व संविधान के उन प्रबन्धों की योजना बनाना और अनुसूचित करना जिन्हें पूरा करने में कई वर्ष लग जायेंगे।

वर्ग बी : विश्व संसद की रचना या बनावट

1. विश्व संसद तीन सीमाओं से बनेगी जोकि निम्न हैं :-

1. जनता की सभा जोकि सीधे और समान रूप से धरती के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगी।
2. देशों की सभा जोकि उन सभी देशों का प्रतिनिधित्व करेगी जोकि धरती के राज्यसंघ में आपस में जुड़ हैं।
3. काउन्सिलर की सभा जिसके निश्चित कार्य हैं कि वे पूरी मानवता के सर्वश्रेष्ठ हित में सर्वोच्च गुणों के प्रतीक होंगे।

2. विश्व संसद के सदस्य, चाहे किसी भी सभा के क्यों न हों, विश्व संसद के सदस्य कहलाएंगे।

वर्ग सी : जनता की सभा

1. जनता की सभा उन तमाम जनता के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई जायेगी जोकि विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों से जनसंख्या के आधार सीधे चुने जाते हैं जैसा कि अनुच्छेद 2 से 4 में परिभाषित किया गया हैं।
2. जनता के प्रतिनिधि विश्व व्यापी बालिग मताधिकार द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, मताधिकार 18 वर्ष व उसके ऊपर की आयु के व्यक्ति कर सकते हैं।
3. प्रत्येक विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद से जनता की सभा में से 5 वर्षों के लिये एक व्यक्ति का चुनाव होगा। जनता का यह प्रतिनिधि क्रमिक रूप से असीमित काल तक चुना जा सकता है।
4. निर्वाचन में निर्वाचन के लिये खड़ा होने वाला जनता का प्रतिनिधि कम से कम 21 वर्ष की आयु को होना चाहिये और जिस निर्वाचन क्षेत्र से व्यक्ति ने निर्वायन पत्र भरा हो, उस जनपद को उसे 1 वर्ष का निवासी होना आवश्यक है और वह मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेगा।

वर्ग डी : राष्ट्रों की सभा

1. देशों की सभा उन राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मिलकर बनेगा जिनका चयन या नियुक्ति राष्ट्रीय सरकार द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार निम्न आधार पर होगी :-

1. प्रत्येक देश से 1 राष्ट्रीय प्रतिनिधि होगा जिनकी जनसंख्या कम से कम 100,000 हो व 10,000,000 से अधिक न हो।

2.प्रत्येक देश से 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि होंगे जिनकी जनसंख्या कम से कम 10,000,000 हो व 100,000,000 से अधिक न हो।

3.प्रत्येक देश से 3 राष्ट्रीय प्रतिनिधि होंगे जिनकी जनसंख्या 100,000,000 व उससे अधिक हो।

2. 100,000 से कम जनसंख्या वाले देश दूसरे देशों से जुड़कर समूह बना सकते हैं और देशों की सभा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
3. राष्ट्रीय प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिये निर्वाचित व नियुक्त किये जायेंगे और उन्हें क्रमिक रूप से असीमित कार्यकालों के लिये निर्वायित व नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि का एक मतदान होगा।
4. काई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में सेवा करता है, उसे कम से कम 2 वर्ष के लिये उस देश का नागरिक होना आवश्यक है जिसका वह प्रतिनिधि है। उसकी आयु कम से कम 29 वर्ष की होनी चाहिये और वह मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेगा।

वर्ग ई : काउन्सिलरों की सभा

1. काउन्सिलरों की सभा 200 काउन्सिलरों से आयोजित होगी जोकि अनुच्छेद-5 और अनुच्छेद-6 में परिभाषित उन 20 विश्व निर्वाचित व प्रशासनिक क्षेत्रों से नामांकित।
2. काउन्सिलरों की सभा के लिये नामांकन प्रत्येक विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं और अकादमियों के शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा।
3. जो लोग प्रत्येक विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र नामांकित होंगे वे आपसी द्वारा अपनी संख्या निर्वाचन होने वालों से दो गुनी एककम नहीं व तिगुनी से अधिक नहीं रखेंगे।
4. काउन्सिलरों की सभा में नामांकित किये हुये सदस्यों की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिये और वे मानवता की सेवा करने की प्रतीक्षा लेंगे। उनका वहाँ का आवासी होना आवश्यक नहीं हैं और काई भी सदस्य जिस क्षेत्र से नामांकित या निर्वाचित घोषित होगा उसे उस क्षेत्र का आवासी होना आवश्यक नहीं है।
5. काउन्सिलरों की सभा के सदस्य हर क्षेत्र से विश्व संसद दूसरी दोनो सभाओं के सदस्यों द्वारा उस विशेष क्षेत्र से चुना जायेगा।
6. काउन्सिलरों को 10 वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना जायेगा। हर 5 वर्षो के पश्चात् काउन्सिलरों की सभा के आधे सदस्य युने जायेंगे। काउन्सिलर असीमित क्रमिक कार्यकाल तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक ों का एक मत होगा।

वर्ग एफ : विश्व सरकार की प्रक्रियाएं

1. विश्व संसद की प्रत्येक सभा, आम चुनावों के पश्चात् अपने प्रथम सूत्र में अपने ही सदस्यों में से 5 सभापतियों के एक पंच का चयन करेगा, प्रत्येक 5 महाद्विपीय भगों में से एक यहसभापति साला बगलते रहेंगे जिससे हर वर्ष एक मुखिया अध्यक्षीय अवसर बनेगा, जबकि अन्य 4 उप-सभापति बनेंगे।
2. प्रत्येक सभा के सभापतियों का पंच आपस में आवश्यकतानुसार मिलेंगे जिससे विश्व संसद की सभी सभाओं का कार्य संचालित रूप से चलता रहे, अलग अलग भी व साथ में भी

3. कोई भी वैद्यानिक (कानून सम्बन्धी) कार्य किसी एक सभा–जनता की सभा अथवा देशों की सभा द्वारा व दोनो के द्वारा एक साथ शुरु किया जा सकता है व एक साधारण बहुमत से पास करने के पश्चात् प्रभावशली होगा।
4. यदि किसी विषय पर जनता की सभा और देशों की सभा द्वारा उठाये गये मुद्दे पर (deadlock) निर्णय नहीं ले पाते है तब वह मामला काउन्सिलरों की सभा में चला जाता है और सीधे बहुमत मतदान पर निर्णय ले लिया जाता है सिवाय उन मामलों के जिनमें इस हन्दिु संविधान में दूसरों का बहुमत मतदान प्राप्त होना आवश्यक हो। दूसरी 2 समस्याओं में एक साथ मतदान से निर्णय के लिये काई भी मुद्दा काउन्सिलरों की सभा में भेजा जा सकता है।
5. काउन्सिलरों की सभा कोई भी कानूनी मुद्दा उठाकर फिर दूसरी दो सभाओं में भेजकर सीधे बहुमत मतदान द्वारा उस पर निर्णय लियाजा सकता है। दोनो जनता की सभा व देशों की सभा में पास होने के पश्चात् ही यह प्रभावशाली हो सकता है सिवाय यदि कोई और बहुमत मतदान की आवश्यकता विश्व संविधान के किसी और प्रायोजन में हो।
6. दोनों में से किसी सभाओं में कोई ठहरे मुए मुद्दे पर काउन्सलरों की सभा अपनी विचार धारा प्रकट कर सकती है। दोनों में से कोई भी सभा काउन्सिलरों का सभा से उनकी राय माँग सकती है। किसी मुद्दे पर कदम उठाने के पूर्व।
7. विश्व संसद की कोई भी सभी अपने नियम और विस्तृत प्रक्रिया अपना सकती है, जोकि विश्व संविधान मे दी गई प्रक्रियाओं के अनुरूप हों और जोकि तीनों सभाओं के संचालन में सहायक सिद्ध हो सके।
8. विश्व संसद व अन्य किसी सभाओं द्वारा नियुक्तियों की सहमति सीधे बहुमत मतदान द्वारा होगी व किसी को हटाने का कारण सर्व बहुमत मतदान द्वारा होगा।
9. जब विश्व सरकार का पूरा कार्य चरण घोषित कर दिया जायेगा, विश्व संसद के सदस्यों का जनता की सभा के लिये निर्वाचन आयोजित कर दिया जायेगा। हर 5 वर्षो में पहला आम चुनाव पहले 2 वर्षो के अन्दर हो जायेगा विश्व सरकार के पूर्ण कार्य चरण की घोषणा के पश्चात्।
10. विश्व सरकार के पूर्ण कार्य चरण घोषित होने तक विश्व संसद के जनता की सभा के लिये सदस्यों के चुनाव आयोजित किये जा सकते जहाँ तक हो सके इसं विश्व संविधान की सहमति के लिये प्रचार करने के सम्बन्ध में।
11. हर वर्ष की हर जनवरी के दूसरे सोमवार को विश्व संसद की जनता की सभा और देशों की सभा के नियमित सत्र होंगे।
12. हर देश, अपनी प्रणालियों के अनुसार विश्व संसद के देशों की सभा के लिये सदस्यों का चुनाव और नियुक्ति जनवरी में विश्व संसद के सदन से 30 दिन पूर्व की जायेगी।
13. आम चुनाव के बाद जनवरी मास में जनता की सभा और देशों की सभा विश्व संसद के सदस्यों का चुनाव काउन्सिलरों की सभा के लिये करेंगे पहले सब के लिये, आम चुनावों के पश्चात् काउन्सिलरों की सभा मार्च के दूसरे सोमवार को सदन में बैठेगी और तत्पश्चात् – दूसरी दो सभाओं के साथ।
14. रिक्त स्थान व रिक्त स्थानों को भरने के लिये 3 मास के भीतर द्विचुनाव होंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी।

15. हर वर्ष विश्व संसद महीने करी न्यूनतम अवधि तक सदन मे रहेगी।
16. विश्व संसद की 3 सभाओं की वार्षिक आय लगभग बराबर होगी सिवाय उनके जोकि प्रेसीडिम व कार्यपालक मंत्रिमण्डल के भी सदस्य होकर सेवा कर रहे हैं।
17. विश्व संसद, पेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल के सदस्यों की आय संहिता विश्व संसद द्वारा निर्धारित की जायेगी।

अनुच्छेद-6 विश्व कार्यपालक

वर्ग ए : विश्व कार्यपालक के कार्य तथा शक्तियाँ

1. विश्व संविधान द्वारा परिभाषित विश्व कानून के मूलतंत्र और विश्व संसद की सहमति से एक विश्व कानून के मूलतंत्र और विश्व संसद की सहमति से एक विश्व कानून की संहिता व्यवस्था को कार्यान्वित करना।
2. विश्व संसद द्वारा बनाई गयी कानून व्यवस्था को कार्यान्वित करना।
3. विश्व संसद द्वारा अपनाने हेतु कानून को प्रस्तावित और अनुमोदन करना।
4. विश्व सांसद के विशेष सदनों को आवश्यकतानुसार बुलाना।
5. विश्व प्रशासन और समाकलन काम्प्लैक्स और सभी विभागों, ब्यूरो, कार्यालयों, संस्थाओं और एजन्सीयों की देखरेख करना।
6. विश्व सरकार के विभिन्न अंगों, शाखाओं, विभागों, ब्यूरो, कार्यालयों, संस्थाओं, एजन्सीयों और अन्य विभागों के प्रमुखों का नामांकन, चुनाव व उनका हटाना। इस विश्व संविधान के प्राविधानों के अनुसार जोकि विश्व संसद द्वारा विशेष रूप से पारित किये गये हैं।
7. प्रतिवर्ष विश्व संसद को एक सम्पूर्ण बजेट तैयार करके पेश करना जिससे विश्व सरकार भली-भाँति अपना कार्य कर सके व बीच में निश्चित काल में कई वर्ष के बजेट की रूप रेखा प्रस्तुत करना।
8. विश्व कानून और बजट आवंटन की प्राथमिकताओं को परिभाषित करना और उनका प्रस्ताव पेश करना।
9. विश्व संसद को जवाब देना, खर्चों के लिये जो विश्व संसद के अनुसार लम्बे समय के अनुमोदित किये गये बजेट के अनुसार हैं तथा जिनमें विश्व संसद द्वारा पारित सुधार किये जा सकते हैं।

वर्ग बी : विश्व कार्यपालक की संरचना

विश्व कार्यपालक में पाँच सदस्यों का एक प्रेसीडियम बनेगा व बीस से तीस सदस्यों का एक कार्यपालक मंत्रीमण्डल बनेगा जो सभी विश्व संसद के सदस्यहोंगे।

वर्ग सी : राष्ट्रमंच

1. प्रेसीडियम में पाँच सदस्य होंगे जिनमें से एक राष्ट्रपति कहलायेगा व अन्य चार उपराष्ट्रपति होंगे। प्रेसीडियम का प्रत्येक सदस्य एक विभिन्न महाद्विपीय भाग से होगा।
2. प्रेसीडियम की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष बदलती रहेगी व प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षता का अवसर मिलेगा जबकि अन्य चार उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति रहेंगे। चक्र किस और से चलेगा इसका निर्णय प्रेसीडियम द्वारा लिया जायेगा।
3. प्रेसीडियम के निर्णय सामूहिक रूप से लिये जायेंगे व बहुमत पर निर्भर करेंगे।

4. प्रेसीडियम का प्रत्येक सदस्य विश्व संसद का सदस्य होगा, चाहें वह जनता की सभा में निर्वाचित किया गया हो अन्यथा काउनसेलरों की सभा में अथवा देशों की सभा के लिये नियुक्त अथवा निर्वाचित किया गया है।
5. प्रेसीडियम के लिये नामांकन काउन्सिलरों की सभा द्वारा किये जायेंगे। नामांकनों की संख्या निर्वाचित होने वालों से दो या तीन गुना अधिक देशों की सभा एक तिहाई से अधिक नामांकन नहीं होंगे व नामांकित व्यक्ति सभी महाद्विपीय भागों से होंगे।
6. काउन्सिलरों की सभा से दिये गये नामांकनों में से प्रेसीडियम विश्व संसंद के संयुक्त संत्र में तीनों सभाओं की सदस्यता द्वारा मतदान से निर्वाचित किया जायेगा। इस मतदान में कई क्रमिक पारियाँ होंगी और प्यूरेलिटी मत जोकि 40 प्रतिशत सदस्यता पूरे विश्व संसद की आवश्यक है। हर सदस्य के प्रेसीडियम में निर्वाचन के लिये एक क्रमिक तरीके से मत निष्कासित होते जायेंगे जब तक यह प्लूरैलिटी न हो जाए।
7. प्रेसीडियम के सदस्यों को किसी कारणवश हटाया जा सकता है, चाहें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, यदि विश्व संसद तीन सभाओं की संयुक्त सदस्यता एक पूर्णत: बहुमत प्राप्त हो जब विश्व संसद का संयुक्त सत्र हो स्थायी समिति।
8. प्रेसीडियम का कार्यालय पाँच वर्ष होगा और यह विश्व संसद के सदस्यों की सदस्यता के साथ चलेगा सिवाये पाँच वर्ष की अवधि के अन्त में, प्रेसीडियम के सदस्य तब तक कार्यालय में सेवारत रहेंगे जब तक अगले नये प्रेसीडियम के लिये निर्वाचन नहीं होगा। प्रेसीडियम की सदस्यता दो श्रमिक कालों तक सीमित रहेगी।

वर्ग डी : कार्यपालक मंत्रीमण्डल

1. कार्यपालक मंत्रीमण्डल में 20 से 30 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक एक सदस्य विश्व के दस विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक मैग्ना क्षेत्रों में से एक में का होगा।
2. कार्यपालक मंत्रीमण्डल के सभी सदस्य विश्व संसद के सदस्य होंगे।
3. विश्व संघीय के किसी एक देश से कार्यपालक मंत्रीमण्डल में 2 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जिस देश एक सदस्य विश्व संसद में प्रेसीडियम का सदस्य हो, वहाँ का एक ही सदस्य कार्यपालक मंत्रीमण्डल में होगा।
4. कार्यपालक मंत्रीमण्डल का प्रत्येक सदस्य विश्व प्रशासन अथवा integrative complex के किसी विभाग या एजेन्सी का मुख्यअधिकारी और इस क्षमता में व उस विशेष विभाग अथवा एजेन्सी का मन्त्री कहलायेगा।
5. प्रेसीडियम द्वारा कार्यपालक मंत्रीमण्डल के सदस्यों का नामांकन किया जायेगा यह ध्यान में रखते हुये कि कार्यपालक मंत्रीमण्डल कई विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। प्रेसीडियम जितने व्यक्ति निर्वाचित होने है उसके दो गुने नामांकित करेगा।
6. कार्यपालक मंत्रीमण्डल का निर्वाचन के संयुत्र में विश्व संसद तींनों सभाओं की संयुक्त सदस्यता के सीधे बहुमत द्वारा किया जायेगा।
7. कार्यपालक मंत्रीमण्डल के सदस्यों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कारणवष हटाया जा सकता है यदि विश्व संसद के संयुक्त संत्र में तीनों सभाओं की मिली जुली सदस्यता की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।

8. कार्यपालक के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी और यह विश्व संसद के सदस्यों के कार्यकाल के साथ चलेगी सिवाय इसके कि 5 वर्ष की अवधि के अन्त में, मंत्रीमण्डल के सदस्य तब तक कार्यशील रहेंगे जब तक कि अगले सूत्र के लिये कार्यपालक मंत्रीमण्डल का निर्वाचन न हो। कार्यपालक मंत्रीमण्डल की सदस्यता 3 क्रमिक सूत्रों तक सीमित रहेगी, चाहें मंत्रियों के पद में कोई भी फर्क हो।

वर्ग ई : विश्व कार्यपालक की प्रक्रियाएँ

1. प्रेसीडियम मंत्रीमण्डल के सदस्यों को मंत्रीपद देगा जिससे वे कई प्रशासनिक विभागों को सम्भाल सकें और प्रशासन की मुख्य एजेन्सियों को और integrative complex को। प्रत्येक उपराष्ट्रपति भी मन्त्री पद पर किसी प्रशासनिक विभाग का नेतृत्व कर सकता है किन्तु राष्ट्रपति नहीं। प्रेसीडियम के निर्णय अनुसार मंत्री पदों को बदला जा सकता है। मंत्रीमण्डल का सदस्य या उपराष्ट्रपति एक से अधिक मंत्री पद पर सम्भाल सकता है किन्तु 3 से अधिक नहीं यह समझते हुये कि कोई भी मंत्रीमण्डल का सदस्य बिना मंत्रीपद के न हो।
2. कार्यपालक प्रेसीडियम मंत्रीमण्डल से सलाह करके, वर्ष के प्रारम्भ में विश्व कानून का एक प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार करेगा और विश्व संसद के समक्ष रखेगा। अन्यकानून प्रेसीडियम वर्ष के भीतर प्रस्तावित कर सकता है।
3. प्रेसीडियम कार्यपालक मंत्रीमण्डल से सलाह करके और विश्व वित्तीय प्रशासन से सलाह करके (अनच्छेद 8, सेक्शन जी-1 देखें) प्रस्तावित वार्षिक बजेट व कई वर्ष के बजेट प्रायोजनों को तैयार करने और विश्व संसद को सौंपने के लिये जिम्मेदार रहेगा।
4. प्रत्येक मंत्रीमण्डल सदस्य और उपराष्ट्रपति किसी विशेष विभाग या एजेन्सी के मंत्री की हैसियत से उस विशेष विभाग या एजेन्सी की एक वार्षिक रपट तैयार करेंगे जोकि दोनों प्रेसीडियम और विश्व संसद को सौपी जायेगी।
5. प्रेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल के सदस्य हर समय व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से विश्व संसद के लिये जिम्मेदार रहेंगे।
6. विश्व कार्यपालक के किसी भी समय होने वाले रिक्त स्थान 60 दिनों के भीतर नामांकन अथवा निर्वाचन से उसी प्रकार भर दिये जायेंगे जैसा कि प्रारम्भ में प्रक्रिया बनाई गई थी इन कार्यालयों को भरने की।

वर्ग एफ : विश्व कार्यपालक की सीमाएं या प्रतिबन्ध

1. विश्व कार्यपालक किसी भी समय विश्व संविधान द्वारा दिये गये किसी भी प्राविधान को अथवा विश्व संसद द्वारा सहमति प्राप्त विश्व कानून जो कि विश्व संसद के प्रविधानों के अनुसार हो, जिसको बदला नहीं जा सकता, हटाना, छाटा करना, अथवा किसी भी प्रकार नियम व पालन न करना नहीं कर सकता है।
2. विश्व संसद द्वारा पारित द्वारा कानून पर विश्व कार्यपालक की कोई वीटो शक्ति नहीं होगी।
3. विश्व कार्यपालक विश्व संसद कोखत्म नहीं कर सकता और न ही विश्व संसद की किसी सभा को।
4. विश्व कार्यपालक विश्व कचहरी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता।
5. विश्व कार्यपालक की वफ़ादारी से व सारे कानूनों को क्रियान्वित करना होगा जाकि विश्व संसद ने विश्व संविधान के प्राविधानों द्वारा पारित किये हैं और वे उस धन-सम्पत्ति को खर्च करने से

मना नहीं कर सकता जो कि विश्व संसद ने तय किया है, न ही उससे अधिक धन व्यय कर सकता है जितना कि विश्व संसद ने निर्धारित किया है।

6. विश्व कार्यपालक विश्व संसद, विश्व कानून व्यवस्था व विश्व संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके निर्णय और नियन्त्रण को बदल नहीं सकता। किसी भी कार्यपालक आदेश अथवा कार्यपालक अधिकार अथवा आपातकाल घोषणा या लिखित आदेश द्वारा।

अनुच्छेद–7 विश्व प्रशासन

वर्ग ए : विश्व प्रशासन के कार्य

1. विश्व प्रशासन को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जायेगा जिससे विस्तृत एवं लगातार रूप से संचालित रहे और विश्व न्याय व विश्व विधि का पालन हो।
2. विश्व प्रशासन विश्व कार्यपालक के निर्देशन में कार्य करेगा वह विश्व कार्यपालक का उत्तरदायी होगा।
3. विश्व प्रशासन इस प्रकार से व्यवस्थित किया जायेगा कि प्रशासन एवं संचालन का कार्य व्यवसायिक रूप से चलता रहे।

वर्ग बी : विश्व प्रशासन की संरचना तथा कार्य प्रणाली

1. विश्व प्रशासन की रचना व्यवसायिक रूप से व्यवस्थित विभागों व अन्य एजेन्सियों द्वारा हर क्षेत्र में होगी जहाँ लगातार प्रशासन एवं विश्व सरकार द्वारा कार्यान्वित करने की आवश्यकता हो।
2. विश्व प्रशासन का प्रत्येक विभाग अथवा मुख्य एजेन्सी एक मंत्री के आधीन कार्य करेगी जोकि यातजो कार्यपालक मंत्रीमण्डल का सदस्य होगा अथवा प्रेसीडियम का एक उपराष्ट्रपति होगा।
3. विश्व प्रशासन का प्रत्येक विभाग अथवा मुख्य एजेन्सी का मुख्य सदस्य एक वरिष्ठ प्रशासक होगा जोकि मंत्री की सहायता करेगा और उस विभाग अथवा एजेन्सी के विस्तुत कार्य की देखरेख करेगा।
4. प्रत्येक वरिष्ठ प्रशासक का नामांकन उस विशेष विभाग या एजेन्सी के मंत्री द्वारा किया जायेगा जोकि विश्व सिविल सेवा प्रशासन की वरिष्ठ सूची में दिये व्यक्तियों में से होगा। जैसे ही वरिष्ठ सूची विश्व सिविल सेवा प्रशासन द्वारा संस्थापित हो जाये और प्रेसीडियम द्वारा पक्की (confirm) कर दीजिये। वरिष्ठ सूची जब तक बने तब तक मंत्री द्वारा पेसीडिम के confirmation से अस्थायी योग्य नियुक्तियाँ की जायेंगी।
5. विश्व प्रशासन का एक सचिव जनरल होगा जोकि प्रसीडियम द्वारा नामांकित किया जोयगा और पूरे कार्यपालक मंत्रीमण्डल की पूर्ण बहुमत मतदान द्वारा स्थायी कर दिया जायेगा।
6. विश्व प्रशासन के महासचिव के कार्य और उत्तरदायित्व होंगे कि वे कई विभागों के वरिष्ठ प्रशसकों और विश्व प्रशासन की एजेन्सियों के कार्य में सहायता प्रदान करें। महायचिव सदा ही प्रेसीडियम के दिशा दिखाने के आधार पर कार्य करेगा और प्रेसीडियम हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. कार्यपालक मंत्रीमण्डल और प्रेसीडियम के मिलाकर पूर्ण बहुमत मतदान के कारणवश किसी भी वरिष्ठ प्रशासक व महासयिव की सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं किन्तु सिविल सेवा नियम के विरुद्ध नहीं जोकि योग्यता के अनुसार सेवा किो सुरक्षा प्रदान करते हैं।
8. विश्व प्रशासन के विभाग अथवा एजेन्सी का कोई भी मंत्री, विश्व संसद का सदस्य होते हुये, उस विशिष्ट विभाग या एजेन्सी और विश्व संसद के बीच लगातार आदान प्रदान का कार्य करेगा, प्रश्नों के उत्तर देगा, सूचनाओं के संसद और विश्व संसद की किसी भी सभा की सीमाओं द्वारा अनुरोध पर घ्यान देगा।
9. प्रेसीडियम, हर केस में, विशिष्ट मंत्रियों के सहयोग से प्रत्येक विभागों और विश्व प्रशासन की मुख्य एजेन्सियों के प्रथम संस्थाओं का उत्तरदायी होगा।
10. कानूनी कदमों का लेखा, संविधानिक प्रविधानों और विश्व कानूनी क्षेत्रों को विशिष्ठ विभागों और एजेन्सियों की प्रगति और उसे कार्यान्वित करना प्रेसीडियम का कार्य होगा, कार्यपालक मंत्रीमण्डल और महासचिव की सलाह लेकर यदि विश्व संसद में इसके विषय में कोई ठोस सबूत न हो।
11. प्रेसीडियम, कार्यपालक मंत्री मण्डल की सलाह से, दूसरे अन्य विभागों और एजेन्सियों को रचित करने का प्रस्ताव रख सकता व इस समय कार्यान्वित किसी विभाग या एजेनसी को मंत्रीमण्डल में बदलने या उनकी सेवाएँ समाप्त करने की सलाह दे सकता है। कोई भी संरचना, बदलाव या सेवाएँ समाप्त करने के लिये तीनें सभाओं के सीधे बहुमत से हो सकता है।
12. विश्व संसद, तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र में पूर्ण बहुमत प्रदान मतदान द्वारा विश्व प्रशासन के नये विभागों और मंत्रीपद के स्तर की एजेन्सियों की सृष्टि का विवरण देगी अथवा विश्व कार्यपालक को आदेश दे सकती है कि वह मौजूदा विभागों और मंत्रीपद के स्तर की एजेन्सियाँ को बदलें, जोड़ें अथवा समाप्त करें।
13. प्रेसीडियम और विश्व कार्यपालक किसी भी ऐसे प्रशासनिक अथवा कार्यपालक विभाग या एजेन्सी को नहीं सृष्टिकार, स्थापित, देखरेख करेगा चाहें वह प्रशासनिक हो अथवा कार्यपालक विभाग हो या एजेन्सी या एजेन्सी हो जिससे विश्व संसद का नियंत्रण (circumvent) बंट जाए।

वर्ग सी : विश्व प्रशासन के विभाग

मंत्रीपद स्तर के विश्व प्रशासन के विभागों और एजेनसियों में, किन्तु उन तक सीमित नहीं व विवरणात्मक शब्दावली और गठजोड़ में बदलाव हो सकने की क्षमता। प्रशासन का हर मुख्य क्ष्त्र मंत्रीमण्डल मंत्री और एक वरिष्ठ प्रशासक अथवा एक उपराष्ट्रपति और एक वरिष्ठ प्रशासक द्वारा शासित किया जायेगा।

1. निरस्तीकरण और युद्ध को रोकना
2. जनसंख्या
3. खाद्य व कृषि
4. जलपूर्ति व जल यात्रा
5. स्वास्थय व पोषण
6. शिक्षा
7. सांकृतिक विविधता व कला
8. रहन सहन और बस्तियाँ

9. पर्यावरण और जीवजन्तु
10. जल संसाधन
11. महासागर और समुद्रतल
12. वायुमण्डल और अंतरिक्ष
13. उर्जा
14. विज्ञान और तकनीक
15. जेनेटिक शोध और इन्जिनियरिंग
16. मजदूरी और आय
17. आर्थिक और सामाजिक विकास
18. वाणिज्य और उद्योग
19. यातायात और यात्रा
20. मल्टीनेशनल कार्पोरेशन
21. संयार और सूचना
22. मानवीय अधिकार
23. बँटवारे का न्याय
24. विश्व सेवा कोरप्स
25. विश्व क्षेत्रफल, राजधानियाँ और बगीचे
26. बाहरी सम्बन्ध
27. लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ
28. राजस्व

अनुच्छेद-8 राष्ट्रीय कार्यपालक

वर्ग ए : परिभाषा

1. कुछ प्रशासनिक, शोध, भोजनात्मक व सहातार्थ एजेन्सियाँ विश्वसतर की, जोकि विश्व सरकार के सभी व अधिकांश भागों की संतोषजनक कार्यशौली के लिये महत्वपूर्ण हैं, उन्हें integrative complex कहा जायेगा। integrative complex में इस वर्ग की सम्पूर्ण एजेन्सियाँ सम्मिलित होंगी और यह प्राविधान होगा कि ऐसी दूसरी एजेन्सियाँ इसमें प्रेसीडियम की सिफ़ारिश पर और विश्व संसद के निर्णय पर जुड़ जायेंगी।
   1.विश्व सिविल सर्वेस प्रशासन
   2.विश्व सीमाएं और निर्वाचन प्रशासन
   3.सरकारी प्रक्रियाएँ और विश्व समस्याएं संस्थान
   4.शोध और योजना की एजन्सी
   5.तकनीकी और पर्यावारण आंकने की एजेन्सी
   6.विश्व वित्तीय प्रशासन
   7.कानूनी समीक्षा आयुक्त
2. Integrative complex की हर एजेन्सी एवं मंत्रीमण्डल मंत्री और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अथवा उपाध्यक्ष और एक वरिष्ठ प्रशासनक और एक वरिष्ठ प्रशासनक और एक वरिष्ठ प्रशासनिक

अथवा उपाध्यक्ष और एक वरिष्ठ प्रशासनिक और साथ में एक आयुक्त के अधीनस्थ रहेगी जैसा कि नीचे प्रविधान है। इस एजेन्सी की प्रक्रियाओं के नियम आयुक्त सदस्यों के बहुमत निर्णय से निर्धारित किये जायेंगे जिनके साथ में प्रशासनिक और मंत्री अथवा उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रीय होगा।

3. विश्व संसद Integrative complex की विभिन्न एजेन्सियों की जिम्मेदारियाँ (उत्तरदायित्व) कार्यप्रणाली और संस्थापना को परिभाषित करेगा और यह अनुच्छेद 8 व विश्व संविधान के अन्य प्राविधानों के साथ मेल खयेगा।
4. Integrative complex की प्रत्येक एजेन्सी विश्व संसद और प्रेसीडियम के लिये एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी।

वर्ग बी : विश्व सिविल सर्वेस प्रशासन

विश्व सिविल सर्विस प्रशासन निम्न होगा किन्तु इससे सीमित नहीं होगा :-

1. विश्व सरकार की इस विश्व संविधान के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये, सभी अंगों, विभागों, ब्यूरो, कार्यालयों, आयुक्तों और एजेन्सियों के स्तरों, योग्यताओं, परीक्षणों, परीक्षाओं और आय (तनख्वाह) के दरों को निश्चित करना और परिभाषित करना और जिनको विश्व संसद की समीक्षा और सहमति के आधार पर प्रेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल की सहमति लेनी हो।
2. विश्व सरकार में सेवा प्रदान करने हेतु योग्य व्यक्तियों व प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व रोजगार के लिये उनकी सूची और समय सारणी तैयार करना।
3. उन योग्य व्यक्तियों का आवश्यकतानुसार व कार्यनुसार चुनाव करना व रोज़गार प्रदान करना जिनका आग्रह किसी सरकारी अंग, ब्यूरो, कार्यालय, संस्थान, आयुक्त, एजन्सी अथवा कार्यरत अधिकारी द्वारा किया गया हो सिवाए उन स्थानों के जिनका निर्वाचन अथवा नियुक्ति विश्व संविधान के प्राविधानों के अर्न्तगत हो अथवा विश्व संसद के विशिष्ट कानूनों के द्वारा।
4. विश्व सिविल सर्विस प्रशासन का शासन द्वारा 10 सदस्यीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा और उसके अतिरिक्त एक मंत्रीमण्डल मंत्री या उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ प्रशासक भी होंगे। आयुक्त की रचना प्रत्येक 10 विश्व निर्वाचन और प्रशासन मैग्ना क्षेत्रों में से एक आयुक्त द्वारा की जायेगी। जो व्यक्ति आयुक्त होंगे उनका नामांकन काउन्सिलरों की सभा द्वारा केया जायेगा और फिर प्रेसीडियम द्वारा वे5 वर्ष के लिये नियुक्त कर दिये जायेंगे। आयुक्त क्रमिक संत्रों में सेवारत रह सकते हैं।

वर्ग सी : विश्व सीमाएँ और निर्वाचन प्रशासन

विश्व सीमाएँ और निर्वाचन प्रशासन में निम्न सम्मिलित है किन्तु सीमित नहीं :-

1. मूल विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों की सीमाएँ परिभाषित करना, विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्र और मैग्ना क्षेत्र और महाद्विपीय भाग, विश्व संसद की सहमति के बाद।
2. हर 10 या 5 वर्षो में आवश्यकतानुसार समय समय पर बदलाव लाना, विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों की सीमाओं में, विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों में और मैग्ना क्षेत्रों में और महाद्विपीय भागों में विश्व संसद की सहमति के बाद।
3. विश्व संसद के सदस्यों के नामांकन और निर्वाचन की विस्तृत प्रक्रियाओं को परिभाषित करना जनता की सभा के लिये, काउन्सिलरों की सभा के लिये, विश्व संसद की सहमति के बाद।
4. विश्व संसद के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन जनता की सभा के लिये और आउन्सिलरों की सभा के लिये।

5. प्रत्येक विश्व संसद निर्वाचन के पूर्व, मतदाता सूचना पुस्तिका तैयार करना जोकि मुख्य वर्तमान सार्वजनिक समस्याओं का संक्षिप्तिकरण करेंगे और प्रत्येक उम्मीदवार की सूची तैयार करेंगे जिसमें निर्वाचन आयोंग के लिये हर उम्मीदवार के बारे में सामान्य सूचनाएँ होंगीं और हर उम्मीदवार के लिये जगह होगी कि वे अपना पक्ष सामने रखें और मुख्य समस्याओं पर विचार व्यक्त करें व किसी भी कार्य जिस पर चुनाव होना हो उसकी सूचना दें, मतदाता की सूचना पुस्तिकाओं को प्रत्येक विश्व निर्वाचन जनपद अथवा सही जनपदों के समूह में बाँटना और पुस्किाओं को तैयार करने में सरकारी प्रक्रियाओं और विश्व समस्याओं के संस्थान, शोध और योजना की एजेन्सी और तकनीकी और पर्यावरण जागरूकता की एजेन्सी की सलाह लेना।
6. विश्व राजनैतिक दलों के नियम, विश्व संसद की सहमति व विश्व ओमबड्समस की समीक्षा और सुझावों के अर्न्तगत उनको परिभाषित करना।
7. विश्व नागरिकों की कानूनी पेशकश और सुझावों की विस्तृत प्रक्रिाओं को परिभाषित करना व अर्न्तराष्ट्रीय अथवा विश्व स्तर पर मतदान का संचालन व विश्व संसदीय निर्वाचन को इसके साथ करवाना।
8. विश्व सरकार के अन्य अंगों की मांग पर आम चुनाव करवाना व सीमा विवादों को निपटाने के लिये सुझाव देना।
9. हर 5 वर्षों के बाद एक विश्व जनगणना कराना व विश्व की जनसंख्या के बटवारे का लेखा जोखा तैयार करना और इसको ठीक से सम्भालना।
10. विश्व सीमाओं और निर्वाचन प्रशासन की प्रधानता एक 10 सदस्यीय आयुक्त के हाथ में होगी वरिष्ठ प्रशासनिक और मंत्रीमण्डल मंत्री व उपराष्ट्रपति के अतिरिकत। इस आयुक्त कार्यालय में हर 10 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक मैग्ना क्षेत्रों में से एक आयुक्त होगा। जो व्यक्ति आयुक्त के पद पर सेवा करेंगे वे काउन्सिलरों की सभा से नामांकित होंगे और फिर विश्व प्रेसीडियम के लिये 5 वचर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जायेंगे। आयुक्त क्रमिक सत्रों में सेवा कर सकते हैं :-

<u>वर्ग डी : सरकारी और विश्व समस्याएं का संस्थान्र</u>

सरकारी प्रक्रिआयों और विश्व समस्याओं की संस्थान के कार्य निम्न होंगे किन्तु इतने ही सीमित नहीं होंगे:-

1. विश्व सरकार की सेवार्थ सूचना, शिक्षा और नियुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये कोर्सो का संचालन करना जिसमें विश्व संसद के सदस्य व सभी अन्य निर्वाचित, नियुक्त व सिविल सर्विस के व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिससे की विश्व सरकार की सेवा में लगा प्रत्येक व्यक्ति में विश्व सरकार के कार्य, ढाँचे, प्रक्रियाओं और विभिन्न अंगों के आपसी सम्बन्ध, विभागों, ब्यूरो, कार्यालयों, संस्थानों, आयुक्तों, एजेन्सियों ओंर अन्य हिस्सों की अच्छी समझ व पकड़ बने।
2. विश्व समस्याओं के हर क्षेत्र में सूचना, शिक्षा, विचार विमर्श अवगत कराना व ने विचार रखना इन सभी कार्यो के लिये कोर्स और सैमीनार तैयार करना व उनका संचालन करना विशेषत: विश्व संसद और विश्व कार्यपालक के सदस्यों हेतु और विश्व सरकार के सभी अंगों, विभागों, एजेन्सियों के मुख्य कार्यकर्ताओं हेतु जो उन सभी सेवा कर्मी के लिये उपलब्ध हों जो कि विश्व सरकार में लगे हैं।

3. विश्व प्रक्रिआयों और विश्व समस्यओं के संस्थान द्वारा कार्से और सेमीनारों के लिये विभिन्न देशों के योग्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, कालेजों और शोध और कर्ता संस्थाओं से लाना व अन्य योग्य व्यक्तियों को भाषण देने और संसाधन व्यक्ति बनने के लिये लाना।
4. संस्थान में कोर्सो और सेमीनारों के संचालन के लिये व्यक्तिगत व सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कालेजों व अन्य एजेनिसयों से सम्बन्ध बनाना।
5. विश्व प्रक्रिआयों और विश्व समस्यओं का संस्थान एक वरिष्ठ प्रशासनक और मंत्रीमण्डल मंत्री या उपराष्ट्रपति के अतिरिाक्त एक 10 सदस्य आयुक्त द्वारा देखा भाला जायेगा। इस आयुक्त में एक आयुक्त होगा जो कि जनता की सभा, देशों की सभा, काउन्सिलरों की सभा, प्रेसीडियम और न्यायधीशों के समूह, विश्व ओमबड्समस, विश्व ंजजवतदमल जनकार्यालय, शोध और योजना की एजेन्सी, तकनीकी और पर्यावरण निधारण एजेनसी और विश्व वित्तीय प्रशासन से होगा। आयुक्त 5 वर्षो से होगा। आयुक्तों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा और वे क्रमिक तौर पर सेवा करते जा सकेंगे।

वर्ग ई : शोध और योजना की एजेन्सी

शोध और योजना की एजन्सी निम्न होंगे किन्तु उन तक सीमित नहीं रहेंगे :-

1. इस एजेन्सी के सामर्थ्य का कोई कार्य जिसमें शोध और योजना की आवश्येता पड़े उसके किसी भी प्रकार के कार्य में विश्व संसद, विश्व कार्यपालक, विश्व प्रशासन व विश्व सरकार के अन्य अंगों, विभागों और एजेनसियों की सेवा करना।
2. विश्व संसाधनों की एक सम्पूर्ण संहिता को तैयार करना और उसकी देखभाल करना।
3. विश्व की जनता की भलाई के लिये धरती के संसाधनों के विकास, संरक्षण, दोबारा प्रयोग और समान बँटवारे के लम्बे समय के लिये बनायी गई व्यापक योजनाएँ, विश्व संसद के द्वारा कानूनी कार्यवाही के अर्न्तगत।
4. सभी विश्व समस्याओं का विवरण और उनकी एक व्यापक सूची तैयार करना, उसकी देख रेख, उनके आपसी सम्बन्धों, उनको सुलझाने के सुझाव और समय व एक सारणी बनाना और उनका विवरण।
5. विश्व संसद के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर विश्व संसद की किसी भी सभा के सदस्य के अनुरोध पर शोध और कानूनी कदम तैयार करना।
6. प्रेसीडियम या कार्यपालक मंत्रीमण्डल या किसी मंत्रीमण्डल मंत्री के अनुरोध पर शोध करना और प्रसतावित कानून या प्रस्तावित कानूनी कार्यक्रम और संहित तैयार करना।
7. विश्व सरकार के किसी भी अंग, विभाग या एजेन्सी के अनुरोध पर शोध और रपट तैयार करना।
8. विभिन्न शोध और योजनात्मक कार्यो हेतु सार्वजनिक और व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों, कालेजों, शोध संस्थाओं व अन्य संस्थानों और समूहों की सहायता एकत्रित करना।
9. विशिष्ट रप्टों अघ्ययन और प्रस्तावों हेतु सार्वजनिक और व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों, कालेजों, शोध एजेन्सियों और अन्य संस्थाओं से सम्पर्क करके contract (समझौता) करना।
10. विश्व संसद के सभी संसद के लिये एक व्यापक विश्व पुस्तकालय की देख रेख जिसका विश्व सरकार में सेवारत अन्य सभी अधिकारी और कार्यकर्ता प्रयोग कर सकें व सार्वजनिक सूचना हेतु

11. शोध और योजना की एजेन्सी के कार्य की देखरेख वरिष्ठ प्रशासनक और मंत्रीमण्डल मंत्री अथवा उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त एक 10 सदस्य आयुक्त परिषद द्वारा की जायेगी। इस आयुक्त परिषद में एक आयुक्त होगा जिसका नाम जनता की सभा, देशों की सभा, काउन्सिलरों की सभा, प्रेसीडियम विश्व न्यायमूर्तियों के कालीजियम, विश्व attorney general, विश्व ओमबड्समस, तकनीकी और पर्यावरण अनुमान लगाने वाली एजेन्सी, विश्व प्रक्रियाओं और विश्व समस्याओं का संस्थान और वियव वित्तीय प्रशासन द्वारा दिया जायेगा। आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वे क्रमिक रूप से सत्रों में सेवा प्रदान कर सकते है।

वर्ग एफ : तकनीकी एवं वातावरण के अनुमान का संस्थान

तकनीकी और पर्यावरण आँकने की एजन्सी के कार्य निम्न होंगे किन्तु इन तक सीमित नहीं रहेगा :-

1. सभी महत्वपूर्ण तकनीकी और उनके परिणामों सहित विवरण और पंजीकरण की स्थापना और देखरेख।
2. उन तकनीकी नवनिर्माणों के परिणामों को जाँचना, विश्लेषण करना और आँकना जिनके महत्वपूर्ण लाभदायक व हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं जोकि मानवीय जीवन के लिये संकटमय सिद्ध हो सकते हैं या धरती पर जीवजन्तु के लिये या फिर जिनके संकट समाप्त करने के लिये और लाभों को सु2रक्षित रखने के लिये कुद विशेष कानून-नियमों अथवा निषेधों को लागू करना पड़ेगा।
3. पर्यावरण और जीवनजन्तु की समस्याओं को जाँचना, विश्लेशण करना, आँकना विशेषकर उन पर्यावरण और जीवनजन्तु की समस्याओं को जोकि मानव की प्राकृति के विरुद्ध जोन से, तकनीकी नवनिर्माणों से, संसाधनों के विकास की प्रक्रियाओं से मानव बसने के तरीकों से, उर्जा के उत्पादन, आर्थिक और औद्योगिक उतार चढ़ाव अथवा मानव द्वारा किये गये कार्ये से पर्यावरण के बदलाव या फिर प्राकृतिक कारणों से।
4. तकनीकी नवनिर्माण और पर्यावरण हस्ताक्षेप के सम्भावित हानिकारक प्रभावों को मापने के लिये एक विश्वविख्यात निरीक्षण नेटवर्क का रखरखाव जिससे संशोधन के तरीके बनाये जा सकें।
5. तकनीकी और पर्यावरण विश्लेशणों और आँकन के आधार पर सुझाव तैयार करना जो कि विश्वप्रशासन, शोध और योजना की एजेनसी व विश्व सरकार के अन्य अंगों, विभागों और एजेन्सियों के लिये, विश्व सरकार की सेवा में लगे वक्तियों और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों और कानूनी संस्थाओं के लिये एक मार्गदर्शक बनना।
6. व्यक्तिगत और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, कालेजों, शोध, संस्थाओं और अन्य समूहों और संस्थाओं को तकनीकियों और पर्यावरण आँकने के लिये उनकी स्वयंसेवी या इकरनामा सहायता और प्रतिभाग करने के लिये तैयार करना।
7. व्यक्तिगत और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, कालेजों, शोध, संस्थाओं और अन्य समूहों और संस्थाओं को स्वयंसेवी या इकरारनामा सहायता और प्रतिमभाग के लिये तैयार करना जिससे एसे नये विकासशील तरीकों को निकालना जोकि हानिकारक या संकटमय तकनीकियों और पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा सकें और उनको नियन्त्रित करने के लिये लाभदायक तकनीकों को निकालना जोकि तकनीकी नवीनमाणें और पर्यावरण में बदलाव से होने

वाले हानिकारक परिणामों को दूर करना, यह सभी विश्व संसद द्वारा बनाये गये कानून के अर्न्तगत लागू करना।

8. तकनीकी और पर्यावरण आँकने की एजेन्सी की देखरेख एक वरिष्ठ प्रशासन और मंत्रीमण्डल मंत्रों या उप राष्ट्रपति के अतिरिक्त 10 सदस्य आयुक्त द्वारा की जायेगी। इस आयुक्त परिषद में एक आयुक्त होगा जोकि 10 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक मैग्ना क्षेत्रों में से हर एक में से एक होगा। यह व्यक्ति जोकि आयुक्त होंगे उनका नामांकन काउन्सिलरों की सभा से होगा और फिर उनकी नियुक्ति विश्व प्रेसीडियम द्वारा 5 वर्ष के सत्र के लिये की जायेगी। आयुक्त क्रमिक सत्रों के लिये सेवा कर सकते हैं।

<u>वर्ग जी : विश्व वित्तीय प्रशासन</u>

विश्व वित्तीय प्रशासन में निम्न सम्मिलित होंगे किन्तु इन तक सीमित नहीं रहेंगें :-

1. विश्व सरकार के लिये राजस्व जमा करने की प्रक्रियाओं को स्थापित करना और उन्हें कार्यान्वित करना, विश्व संसद द्वारा दिये गये कानून के तहत, करों को मिलाकर, विश्व में खाते अनुसार सामाजिक और सार्वजनिक खर्चे, लाइसेन्स, फ़ीस, राजस्व बाँटने की व्यवस्थाएँ, अन्तरराष्ट्रीय सार्वजनिक उद्योग, योजनाएँ, संसाधन विकास व अन्य सभी स्त्रोत।
2. एक गृह खाता कार्यालय चलाना और उसके बाद ख़र्चे/फायदे या लाभ अध्ययन और विश्व सरकार की प्रणालियों और गतिविधियों की रपट लिखना और उसके विभिन्न अंगों, विभागों, शाखाओं, ब्यूरो, कार्यालयों, आयुक्तों, संस्थाओं, एजेन्सियों व अन्य अंगों और योजनाओं की रपट बनाना। इस प्रकार के अध्ययन और रपट बनाने में, सीधे वित्तीय खर्चों और लाभों को ही नहीं देखा जायेगा बल्कि मानवीय, सामाजिक, पर्यावरण, घुमावदार, लम्बे समय के अन्य खर्चे और लाभ व असली और आशंकित खतरों और हानियों को घ्यान में रखा जायेगा। ऐसे अध्ययन और रपट यह भी घ्यान में रखेंगी कि कितना पैसा इत्यादि बेकार दुरुपयोग, गलत सोच, समझ, धाँधले, बेकार के खर्च इत्यादि व अन्य सम्भावित अनियतमों से रोकना।
3. विश्वसंसद की किसी भी सभा या संस्था के अनुरोघ पर, प्रेसीडियम, कार्यपालक मंत्रीमण्डल, विश्व ओमबड्समस, विश्व attorney जनरल के कार्यालय, विश्व उच्चतम् न्यायलय व किसी भी प्रशासनिक विभाग अथवा integrative complex की एजेन्सी के अनुरोघ व अपने ही इरादे से खर्चा/लाभ का अध्ययन और रपट बनाना।
4. एक गृह कम्पट्रोलर कार्यालय को चलाना व विश्व सरकार की जमा पूँजी के वितरण की हर कार्य के लिये देख रेख करना, उन परियोजनाओं और गतिविधियों की जिन्हें विश्व संविघान की स्वीकृति प्राप्त हो, विश्व संसद, विश्व कार्यपालक व अन्य अंग, विभाग और विश्व सरकार की एजेन्सियाँ।
5. यह गृह बैकिंग व्यवस्था को स्थापित लागू करना जिसका अगला कदम होगा एक सर्वत्र विश्व मुद्रा जोकि विश्व संसद द्वारा पारित विशिष्ट कानून से स्वीकुत हो।
6. विश्व संसद द्वारा पारित विशिष्ट कानून के अर्न्तगत और गृह बैकिग व्यवस्था के साथ, गृह मानिटरी और क्रेडिट व्यवस्था द्वारा पारित प्रक्रियाओं की स्थापना और उनको लागू करना जोकि सामान और सेवा दोनों में उपयोगी, उत्पादन क्षमता पर आधारित होगा। यह मानिटरी और क्रैडिट व्यवस्था ऐसा बनाया गया है कि यह गृह बैंकिंग व्यवस्था के अर्न्तगत उपयोग हो और विश्व

सरकार के कार्यों और गतिविधियों के वित्त में काम आये व अन्य सभी वित्तीय कार्यों हेतु जिन्हें विश्व संसद की स्वीकृति प्राप्त हो व बांड, जमा योजना और अन्य प्रकार के वित्तीय स्वामित्व व कर्ज़ के ब्याज की आवश्यकता न पड़े।

7. वित्तीय उधार के लिये एक मापदण्ड बनाना जैसे कार्य करने योग्य व्यक्ति, उपयोगिता, खर्च/लाभ, खाते, मानवीय और सामाजिक गुण, पर्यावरण स्वास्थय, खूबसूरती, ऊँच नीँच का भेदभाव कम करना, सम्मान, योग्य और कुशल प्रबन्घ, उचित तकनीक, उत्पादन क्षमता और प्रदर्शन।
8. विश्व संसद के द्वारा पारित किये कानून के अनुसार, राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुये, विश्व में आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में एक गृह बीमा व्यवस्था को स्थापित करना और कार्यान्वित करना।
9. विश्व सरकार को चलाने के लिये, प्रसीडियम की सहायता करना,बजेट की तकनीकी तैयारी करना, बजेट की तकनीकी तैयारी करने के अनुरोघ पर।
10. विश्व वित्तीय प्रशासन की देखरेख एक 10 सदस्यीय आयुक्त परिषद द्वारा होगा साथ ही में एक वरिष्ठ प्रशासनिक और एक मंत्रीमण्डल मंत्री अथवा उपराष्ट्रपति होंगे। आयुक्त परिषद में 10 सदस्यों में से हर एक आयुक्त का नाम जनता की सभा, देशों की सभा, काउन्सिलरों की सभा, प्रेसीडियम, विश्व न्यायमूर्तियों के collegium (समूह), attorney जनरल के कार्यालय, विश्व ओमबड्समस, शोध और योजना एजेन्सी, तकनीकी और पर्यावरण आंकने की एजेन्सी, सरकारी प्रक्रियाओं और विश्व समस्आओं के संस्थान द्वारा किया जायेगा। आयुक्तों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा और ये क्रमिक रूप से सत्रों में सेवारत रह सकते हैं।

<u>वर्ग एच : कानूनी समीक्षा आयुक्त</u>

1. कानूनी समीक्षा आयुक्त के कार्य होंगे विश्व कानून और विश्व विधि का निरीक्षण जो कि विश्व संसद द्वारा पारित हों अथवा पिछली अर्न्तराष्ट्रीय कानून व्यवस्था द्वारा अपनाए गये हों जिसका मकसद होगा कि पिछले अर्न्तराष्ट्रीय कानून का विश्लेशण करें कि यह पुरानी व्यवस्था आज के संदर्भ में कितनी उपयोगी है व कहं इसने अपनी उपयोगिता खोई तो नहीं है और कहाँ तक अब यह वे कार्य करने में सफ़ल होगी जिसके लिये बनायी गयी है। इसके तहत इस आयुक्त का कार्य होगा कि विश्व संसद को अपने सुझाव और सिुारिशें प्रस्तुत करे कि किसी कानून को हटाएँ, सुधार करें अथवा दूसरे कानून को उसकी जगह लगाएँ।
2. कानूनी समीक्षा के आयुक्त में 12 सदस्य होंगे जिनमें से 2 जनता की सभा से होंगे, 2 देशों की सभा से, 2 काउन्सिलरों की सभा से, 2 विश्व न्यायमूर्तियों के समूह (collegium) से, विश्व ओमबड्समस से और प्रेसीडियम से। आयुक्त के सदस्य 10 वर्ष के कार्यकाल के कार्यकाल के लिये सेवा करेंगे और फिर क्रमिक रूप से अगले सत्रों में फिर से निर्वाचित घोषित किये जा सकते हैं। आयुक्त के आघे सदस्य आयुक्त के पहले बनने के बाद हर 5 वर्ष के बाद निर्वाचित किये जायेंगे और आघे सदस्यों का पहला संत्र केवल 5 वर्ष का ही होगा।

अनुच्छेद-9 विश्व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार

वर्ग ए : विश्व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार

1. एक विश्व उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जोयगी, साथ में ऐसे क्षेत्रीय और जनपद विश्व न्यायालयों के आवश्यकतानुसार स्थापित किया जायेगा। विश्व उच्चतम न्यायालय के अर्न्तगत कई बेन्चें होंगी।
2. इस विश्व उच्चतम न्यायालय में ऐसे क्षेत्रीय और जनपद विश्व न्यायालयों की स्थापना के साथ विश्व संविधान के प्राविधानों से जुड़ कानूनी झगड़े (litigation) सांविधिानिक अर्थ, सिविल और मानवीय अधिकारों की गारन्टी (आश्वासन), सिविल मुकदमें, कानून के उल्लंघन, झगड़े मतभेद, कार्य व सभी प्रकार के मुकदमों का मैण्डैटरी कार्यक्षेत्र रहेगा और जिस कानूनी संस्था की स्वीकृति विश्व संसद ने दी हो।
3. विश्व उच्चतम न्यायालय के निर्णय उन सभी दलों पर लागू होंगे जोकि सभी मुकदमों में शामिल होंगी, उन कार्यो और कानूनी मुकदमों में जोकि विश्व उच्चतम न्यायालय की किसी भी बेन्च के सामने पेश किये जाते हैं। विश्व उच्चतम न्यायालय की प्रत्येक बेन्च उच्चतम अपील का न्यायालय होगी सिवाय उन किस्सों के जो कि विशेष सार्वजनिक महत्व के होंगे, जोकि विश्व उच्चतम न्यायालय के मोहकमा अदालत को सोंपे जायेंगे जैसा कि 'अनुच्छेद 9' के 'सेक्शन ई' में दिया गया है।

वर्ग बी : विश्व उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें

1. मानवीय अधिकारों की बेन्च :- विश्व संविधान के अनुच्छेद 13 के प्राविधानों में सिविल और मानवीय अधिकारों की गारण्टी के तहत मानवीय अधिकारों के मुद्दे से सम्बन्धित और इस विश्व संविधान के अनुच्छेद 13 में दिये प्राविधानों से सम्बन्धित और विश्व कानून व विश्व कानून संस्था के अर्न्तगत अन्य केस जो कि विश्व संसद द्वारा स्वीकृत हों।
2. अपराधिक मामलों की न्यायपीठ :- उन विषयों से जूझने के लिये जो जो कि विश्व कानून और विश्व न्याय के उल्लंघन व्यक्तियों, कारपोरेशनों, समूहों और ऐसोसियेशनों द्वारा किये जाते हैं किन्तु विषयों से नहीं जोकि मूलत: मानवीय अधिकारों से सम्बन्धित हों।
3. सिविल मामलों की न्यायपीठ :- उन विषयों को समझने के लिये जो कि सिविल मुकदमों और व्यक्तियों, कार्पोरेशनों, समूहों और एसोसिएशनों से सम्बन्धित हों विश्व न्याय और विश्व कानून और प्रशासन के अर्न्तगत आने वाले।
4. संविधानिक मामलों की न्यायपीठ :- विश्व संविधान के व्याख्यान से व उन विषयों और कार्यो से जो कि विश्व संविधान के व्याख्यान सेसम्बन्धित हो।
5. अर्न्तराष्ट्रीय विवादों की न्यायपीठ :- उन देशों के बीच विवादों, झगड़ों और न्याय स्पर्धा जिन्होंने धरती की संधीयता स्वीकार की है।
6. सार्वजनिक मामलों की न्यायपीठ :- उन झगड़ों, विवादों, सिविल मुकदमों व अन्य न्याय स्पर्धाओं से निपटना जोकि विश्व सरकार और कार्पोरेशन, समूहों या व्यक्तियों के बीच हो, या राष्ट्रीय सरकारों और कार्पोरेशनों, समूहों या व्यक्तियों के बीच हों जिसमें विश्व न्याय व्यवस्था व विश्व कानून का दखल हो और किसी अन्य न्यायपीठ के क्षेत्र से परे हो।
7. एपीलेट न्यायपीठ :- यह उन विषयों को सुलझाने के लिये है जो कि विश्व न्याय व्यवस्था और विश्व कानून से सम्बन्धित हों और जिनकी अपील राष्ट्रीय न्यायलय से की जा सकती हो और

इस बात का निर्णय लेना कि किस न्यायपीठ को मामला या कार्य सौंपा जाये यदि उसके अधिकार क्षेत्र पर मतभेद हो अथवा प्रश्नचिन्ह हो।

8. सलाह न्यायपीठ :-विश्व विधि या विश्व न्याय व्यवस्था से कोई न्याय सम्बन्धित प्रश्न उठने पर अनुरोध पर अपना मत देना उन स्पर्धाओं और कार्यों के अलावा जो कि विश्व संविधान के व्याख्यान से जुड़े हों। सलाह पूर्ण मत का विश्व संसद की किसी भी सभा अथवा कमेटी के, प्रेसीडियम के, किसी प्रशासनिक विभाग के, विश्व अर्टनी जरनल के कार्यालय के विश्व ओमबड्समस के अथवा इन्टीग्रेटिव काम्प्लेक्स के द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।
9. अन्य न्यायपीठों की स्थापना की जा सकती है, जोड़ा या विश्व न्यायमूर्तियों के कालेजियम की सिफारिशों पर समाप्त किया जा सकता है जिसमें विश्व संसद की स्वीकृति हो किन्तु पहले से 8वें अंक की न्यायपीठों को नहीं जोड़ा अथवा समाप्त किया जा सकता है सिवाए जब तक विश्व संविधान में संशोधन न हो।

वर्ग सी : विश्व उच्चतम न्यायालय के आसन

1. विश्व उच्चतम न्यायालय की प्राइमरी सीट (आसन) वही होगा जो कि प्राइमेरी विश्व राजधानी का होगा और विश्व संसद और विश्व कार्यपालक का स्थान होगा।
2. विश्व उच्चतम न्यायालय की महाद्विपीय सीटों की स्थापना 4 विश्व सरकार सैकेन्डरी राजधानियों में होगी जो कि धरती के 4 विभिन्न महाद्विपीय खण्डों में, अनुच्छेद 15 के प्राविधान के अनुसार होंगे।
3. विश्व उच्चतम न्यायालय की निम्न स्थायी न्यायपीठें दोनों प्राइमेरी सीट पर व प्रत्येक महाद्विपीय सीटों पर स्थापित की जाएँगी :- मानवीय अधिकार, अपराधिक मामले, सिविल मामले और सार्वजनिक मामले।
4. विश्व उच्चतम न्यायालय की निम्न स्थायी न्यायपीठें केवल विश्व उच्चतम न्यायलय की प्राइमरी सीट पर स्थापित की जायेगी। सांविधानिक मामले, अर्न्तराष्ट्रीय झगड़े, ऐपीलेट न्यायपीठ और सलाह न्यायपीठ।
5. जो न्यायपीठें स्थायी रूप से केवल विश्व रूप से केवल विश्व उच्चतम न्यायालय की प्राइमेरी सीट पर स्थापित हैं कि विश्व उच्चतम न्यायालय की अन्य महाद्विपीय सीटों पर आवश्यकतानुसार विशेष सत्र रख सकती हैं अथवा महाद्विपीय घेरे आवश्यकता पड़ने पर बना सकती हैं।
6. विश्व उच्चतम न्यायालय की वे न्यायपीठें जिनके स्थायी स्थल हों वे अन्य स्थलों में आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र रख सकती हैं या क्षेत्रीय घेरे यदि आवश्यकता हो तो बना सकती है।

वर्ग डी : विश्व न्यायधीशों का समूह

1. विश्व संसद द्वार विश्व न्यायमूर्ति के एक कालेजियम की स्थापना की जायेगी। इसका ..... में न्यूनतम 20 सदस्यीय न्यायमूर्ति रहेंगे जो कि आवश्यकतानुसार बढ़ाए जा सकते हैं किन्तु 60 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे।
2. विश्व न्ययायमूत्रियों के का .....में गिने जाने वाले विश्व न्यायमूर्तियों का नामांकन काउन्सिलरों की सभा द्वारा किया जायेगा और वे प्लूरेलिटी मतदान द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे जो कि विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र द्वारा होगा। हर 10 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक मैग्ना क्षेत्रों से बराबर संख्या के विश्व न्यायमूर्ति निर्वाचित होंगे, यदि तुरन्त नहं तब घुमाव से।

3. एक विश्व न्यायमुर्ति का कार्यकाल 10 वर्षो का होगा। क्रमिक रूप से वे असीमित काल के लिये सेवा प्रदान कर सकते हैं।
4. विश्व न्यायमूर्तियों का का ..... एक विश्व न्यायमूर्तियों के अध्यक्षीय सीमित (प्रिसाइडिन्ग काउन्सिल) का निर्वाचन करेंगे जिसमें कि एक मुख्य न्यायघीश और 4 अतिरिक्त (असोसियेट) न्यायधीश होंगे। धरती के 5 महाद्विपीय खण्डों में से हर एक से एक सदस्य विश्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षीय समिति के लिये चुना जायेगा। अध्यक्षीय समिति के सदस्यीय विश्व न्यायमूर्ति अध्यक्षीय समिति में 5 वर्षो के सेवा काल प्रदान करेंगे व 2 क्रमिक सेवाकाल प्रदान कर सकते हैं किन्तु 2 बार क्रमिक रूप से मुख्य न्यायधीश के पद पर नहीं।
5. विश्व न्यायमूर्तियों के अध्यक्षीय काउन्सिल सभी विश्व न्यायमूर्तियों को, अपने आप को मिलाकर, विश्व उच्चतम न्यायालय की कई न्यायपीठों को सौंप देंगे। एक बैठक के लिये एक न्यायपीठ में प्रत्येक स्थल पर न्यूनतम तीन विश्व न्यायमूर्ति होंगे, सिवाए इसके कि विश्व न्यायमूर्तियों की संख्या महाद्विपीय मामलों और अर्न्तराष्ट्रीय झगड़ों की न्यायपीठों के लिये और ऐपीलेट न्यायपीठ के लिए 5 से कल नहीं होंगे।
6. सदस्यीय न्यायमूर्ति प्रत्येक स्थल की हर न्यायपीठ के लिये हर न्यायपीठ हर साल एक अध्यक्षीय न्यायमूर्ति का चुनाव करेंगे जो कि 2 क्रमिक सत्रों में भी सेवा कर सकता है।
7. विश्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षीय समिति के निर्णय के आधार पर इच्छानुसार अथवा आवश्यकतानुसार समय समय पर कई न्यायपीठों के सदस्यों को दोबारा निर्माण किया जा सकता है। किसी न्यायपीठ का पुन: निर्माण करने के निर्णय को विश्व न्यायमूर्तियों के पूर्ण कालेजियम के मत के लिये भेज दिया जायेगा यदि कोई विश्व न्यायमूर्ति का अनुरोध हो।
8. कोई भी न्यायमूर्ति विश्व उच्चतम न्यायालय के पद से कारणवश दो तिहाई बहुमतों के मतदान से विश्व संसद की 3 सभाओं द्वारा नियुक्त सत्र में हटाया जा सकता है।
9. विश्व उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों की योग्यता कम से कम 10 साल के विधि अथवा कानूनी तजुर्बे, न्यूनतम आयु 10 साल के विधि अथवा कानूनी तजुर्बे, न्यूनतम आयृ 30 वर्ष व प्रमाणित योग्यता विश्व कानून और मानवीयता की होनी चाहिये।
10. विश्व न्यायमूर्तियों की आय, खर्चे, अन्य लाभ व सुविधाएँ विश्व संसद द्वारा निर्धारित की जाएँगी और हर 5 वर्षो में उनकी समीक्षा होगी, किन्तु कार्यकाल में यह किसी भी विश्व न्यायमूर्ति के लाभ के विपरीत नहीं बदली जा सकती हैं। विश्व न्यायमूर्तियों के कालीजियम के सभी सदस्यों का बराबर वेतन होगा सिवाय वह अतिरिक्त भाड़ा जो कि विश्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षीय समिति को मिलेगा।
11. विश्व न्यायमूर्तियों के कालीजियम की सिफारिशों पर विश्व संसद को यह अधिकार होगा कि वह क्षेत्रीय और जनपदीय न्यायालयों की स्थापना विश्व उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ करें व उनके कार्य क्षेत्र निर्धारित करें व विश्व उच्चतम न्यायालय अथवा विभिन्न न्यायपीठों को अपील करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करे।
12. विश्व उच्चतम न्यायालय, विश्व न्यायमूर्तियों का कालेजियम, व विश्व उच्चतम न्यायालय की प्रत्येक न्यायपीठ के संचालन की प्रक्रियाओं के नियम विश्व न्यायमूर्तियों के कालेजियम के पूर्ण बहुमत द्वारा निर्णित व संशोधित किये जाएँगे।

वर्ग ई : विश्व उच्चतम न्यायालय का उच्च की मोहकमा अदालत

1. जिन मामलों की जनता के लिये विषेश महत्वता है उनके लिये एक मोहकमा अदालत स्थापित किया जायेगा। एक कैलण्डर वर्ष के लिये मोहकमा अदालत एक विश्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षीय समिति, एक विश्व न्यायमूर्ति जिसका नाम विश्व न्यायालय की हर न्यायपीठ के अघ्यक्षीय न्यायमूर्ति द्वारा दिया जायेगा जोकि विश्व उच्चतम न्यायालय की प्राइमरी सीट पर होगा द्वारा गठित होगा। मोहकमा अदालत की रचना लगातार दूसरे वर्ष बिना बदले चल सकती है यदि यह निर्णय विश्व न्यायमूर्तियों की अघ्यक्षीय समिति का हो।
2. किसी विवाद, विषय, मामले या झगड़े की कोई भी पार्टी जोकि विश्व उच्चतम न्यायालय की किसी विशेष न्यायपीठ अथवा विश्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षीय समिति के समक्ष अर्जी भेज सकते हैं कि उनका मामला, अद्वितीय सार्वजनिक महत्व की वजह से मोहकमा अदालत को सौंपा जाए या उसके पास ट्रांस्फर किया जाए। यदि वह अर्जी मान ली जाती है, तब वह मामला मोहकमा अदालत द्वारा सुना जाएगा और फैसला करके निपटाया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी न्यायपीठ किसी भी न्यायपीठ किसी भी विशेष मामले को, अद्वितीय सार्वजनिक महत्व का समझते हुए अपने फैसले पर मोहकमा अदालत को मामले का स्थानान्तरण कर सकते हैं।

अनुच्छेद-10 प्रवर्तन प्रणाली

वर्ग ए : प्रारम्भिक नियम

1. विश्व कानून और विश्व न्याय व्यवस्था सीधे तरीके से व्यक्ति पर लागू होगी और व्यक्ति विश्व कानून और विश्व न्याय के पसलन के लिये उत्तरदायी होंगे चाहें व अपनी क्षमता के अनुसार या एजन्ट की तरह या सरकारी अधिकारियों की है सियत से किसी भी स्तर पर या सरकारी संस्थानों से, या कार्पोरेशनों, संस्थाओं, संगठानों या किसी भी प्रकार के समूहों के एजन्ट या अधिकारियों की तरह।
2. जब विश्व कानून या विश्व न्याय या विश्व न्यायालयों के निर्णयों का उल्लंघन होता है, तब प्रवर्तन प्रणाली कार्यवाही करती है कि उन व्यक्तियों को पहचाने और पकड़े जो इन उल्लंघनों के जिम्मेदार हैं।
3. कोई भी प्रवर्तन कार्य इस संविधान द्वारा सिविल और मानवीय अधिकारों की गारण्टी का उल्लंघन नहीं करेगा।
4. विश्व कानून और विश्व विधि व्यवस्था का प्रवर्तन उस सूरत में कार्य करेगी जब कि एक सैन्यरहित विश्व संघ हो जिसमे सारे सदस्यीय देश निरस्त्र हो जाएँ और इस सूरत में ही विश्व संघ में सम्मिलित हो सकें व इसका लाभ उठा सकें जैसा कि अनुच्छेद 17, सेक्शन सी-8 और सेक्शन डी-6 में दिया गया है। धरती का संघ और विश्व सरकार इस विश्व सरकार इस विश्व संविघान के अर्न्तगत न तो रखेंगे न ही बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों का प्रयोग करेंगे।
5. प्रवर्तन प्रणाली के जिन एजेन्ट का कार्य विश्व कानून और विश्व विधि व्यवस्था के उल्लंघनकर्ता को पकड़ना और कानून तक पहुँचाना है उन्हें उतने ही हथियारों से लैस किया जाएगा जोकि कानून तोड़ने वालों को पकड़ने में प्रयोग हों।

6. विश्व कानून और विश्व विधि व्यवस्था का प्रवर्तन इस विश्व कानून द्वारा एसे संजोया और विकसित किया जायेगा जिससे कि प्रभावशाली ढंग और विश्व कानून और विश्व विधि व्यवस्था प्रशासन धरती के लोगों की भलाई को घ्यान में रखते हुए, सभी के लिये समानता और न्याय, जिसमें धरती के संसाधनों का और जमापूँजी का और विश्व सरकार से लिए उधार को शान्तिपूर्ण ढंग से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाएँगे और इनका उपयोग बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के लिए व युद्ध के लिए नहीं होगा।

वर्ग बी : प्रवर्तन की रूपरेखा : विश्व अटर्नी जनरल

1. प्रवर्तन प्रणाली का प्रधान विश्व अटर्नी जनरल का कार्यालय होगा और क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों का आयुक्त मंडल होगा।
2. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय में 5 सदसय होंगे, जिनमें से एक विश्व अटर्नी जनरल व अन्य सह (associate) विश्व अटर्नी जनरल कहलाएँगें।
3. क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के आयुक्त मण्डल में 20 क्षेत्रीय विश्व अटर्नी होंगे।
4. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के सदस्यों का नामांकन काउन्सिलरों की सभा द्वारा किया जाएगा जिनमें से 3 नामांकन धरती के प्रत्येक महाद्वीपीय खण्ड से होंगे। 5 महाद्विपीय खण्ड से हर एक से कार्यालय के एक सदस्य का चुनाव होगा और यह चुनाव प्लूरैलिटी मत द्वारा विश्व संसद की 3 सभाओं के संयुक्त संत्र में होगा।
5. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के एक सदस्य का कार्यालय 10 वर्ष का होंगा। एक सदस्य 2 क्रमिक सत्रों में सेवा प्रदान कर सकता है। विश्व अटर्नी जनरल का पद हर 2 वर्षो में कार्यालय के 5 सदस्यों मे चक्र काटेगा। चक्र का हिसाब कार्यालय के 5 सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रदान कर सकता है। विश्व अटर्नी जनरल का पद हर 2 वर्षो में कार्यालय के 5 सदस्यों मे चक्र काटेगा। चक्र का हिसाब कार्यालय के 5 सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
6. विश्व अटर्नी जनरल का कार्यालय 20 क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के आयुक्त मण्डल के सदस्यों का नामांकन करेगा जो कि 20 निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों से होंगे और जिनमें हर क्षेत्र से 2 से 3 के बीच नामांकनों से विश्व संसद की 3 सभाओं के संयुक्त सत्र में एक क्षेत्रीय विश्व अटर्नी जनरल का नुनाव होगा उन 20 क्षेत्रों से। क्षेत्रीय विश्व अटर्नी 5 वर्ष के कार्यकाल में सेवा प्रदान करेंगे और वे 3 क्रमिक कार्यकाल में सेवारत रह सकते हैं।
7. प्रत्येक क्षेत्रीय विश्व अटर्नी के एक कार्यालय को सम्भालेंगे और उसका आयोजन करेंगे। प्रत्येक सह (associate) विश्व अटर्नी जनरल क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के पाँचों कार्यालयों की देखभाल करेंगे।
8. जो कार्यकर्ता प्रवर्तन के कार्य के लिए रखे जाएँगे, व विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के पाँचों सदस्यों और 20 क्षेत्रीय अटर्नी जनरलों के अतिरिक्त, सिविल सेवा सूची में से चयनित किये जाएँगे और निम्न कार्यो के लिए आयोजित किये जाएँगे।
    1. छानबीन
    2. पकड़ना और गिरफ्तार करना
    3. अभियोजन
    4. इलाज और संशोधन
    5. झगड़े का निवारण

9. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के सदस्य और क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के लिए योग्यता न्यूनतम 30 वर्ष की आयु और कम से कम 7 वर्षों का कानून का अनुभव और विधि की व अन्य विषयों की पढ़ाई। विश्व अटर्नी जनरल, सह-विश्व अटर्नी जनरल और क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों को हर समय विश्व संसद का उत्तरदायित्व होगा।
10. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय का कोई भी सदस्य और कोई भी क्षेत्रीय विश्व अटर्नी के कार्यालय की कारणवश विश्व संसद की तानों सभाओं के संयुक्त सत्र में सीधे बहुमत मतदान से हटाए जा सकते हैं।

वर्ग सी : विश्व पुलिस

1. वश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के कार्यालय का वह सेक्शन जो विश्व विधि और विश्व कानून के उल्लंघन करने वालों को पकड़ता और गिरफ्तार करता है, वह विश्व पुलिस कहलाएगा।
2. विश्व पुलिस के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता की प्रधानता एक क्षेत्रीय विश्व पुलिस कप्तान के हाथ मे होगी जो कि क्षेत्रीय विश्व अटर्नी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
3. विश्व अटर्नी जनरल का कार्यालय एक विश्व पुलिस निरीक्षक नियुक्त करेगा जोकि उन गतिविधियों को सम्भालेगा जाकि क्षेत्रीय सीमाओं को पार करेगी। विश्व पुलिस निरीक्षक (supervisor) क्षेत्रीय विश्व पुलिस कप्तानों के कार्यों का निर्देशन करेगा जिनको संचालन या संयुक्त कार्य की आवश्यकता हो जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करता हो और विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के निर्देशन और आगे बढ़ाये हुए कार्यों को पूरी तरह कार्यान्वित करेगा।
4. विश्व पुलिस द्वारा की गई छानबीन और गिरफ्तारी केवल विश्व अटर्नी जनरल या क्षेत्रीय विश्व अटर्नी दिये गये (warrant) के आधार पर होगी।
5. विश्व पुलिस को उतने ही हथियारों से लेस किया जाएगा जितने की कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को पकड़ने में काम आयें।
6. विश्व पुलिस कप्तानों और विश्व पुलिस निरीक्षकों (supervisors) के पदों की नियुक्ति 10 वर्ष तक सीमित रहेगी।
7. विश्व पुलिस निरीक्षक (supervisor) और कोई भी क्षेत्रीय विश्व पुलिस कप्तान को कारणवश, विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय के निर्णय पर विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र में पूर्ण बहुमत मतदान से हटाया जा सकता है।

वर्ग डी : प्रवर्तन के साधन

1. विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के आयुक्त मण्डल, विश्व न्याय मूर्तियों के कालिजियम, विश्व प्रेसीडियम और विश्व ओमबड्समस की सलाह से विश्व कानून और विश्व विधि व्यव्स्था के प्रवर्तन के सैन्य साधनों को विकसित करेगा। प्रवर्तन के असली साधनों के लिए विश्व संसद द्वारा विश्व कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी।
2. प्रवर्तन के विकसित किये जाने वाले सैन्यरहित साधन निम्न हो सकते हैं : वित्तीय उधार की मनाही, मटीरियल संसाधनों और कार्यकर्ताओं की मनाही, जाइसेन्स खत्म करना, चार्टर या कार्पोरेटर अधिकारों को खत्म करना, समान का ज़ब्त होना, जुरमाने या नुकसान का हरजाना भरवाना, नुकसान के बदले में मेहनत करवाना, बन्दगी या अकेले रखना व अन्य साधन जोकि विशिष्ट स्थितियों के अनुसार हों।

3. आशंकित व सचमुच के दंगों की स्थितियों से निपटने, सशस्त्र हिंसा जूझने के लिये विश्व संसद और विश्व अटरनी जनरल का कार्यालय विशेष योजनाबद्ध कार्यक्रम व प्रढ़ालियाँ विकसित करेगा जिसमें क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के लोकायुक्त, विश्व न्यायमूर्ति के कालिजियम, प्रेसीडियम और विश्व ओमबडसमस की सलाह से इन तरकीबों और प्रणालियों में विश्व संसद को नये कानून बनाने पड़ सकते हैं आवश्यकतानुसार संविधान द्वारा दिये विशेष प्राविधानों के द्वारा।
4. हिंसा भड़कने की रोकथाम के लिये प्रवर्तन प्रणाली एकमूल बात अपनायगी कि हर व्यक्ति अथवा समूह को गैर हिंसात्मक तरीके से न्यायपूर्ण सुनवाई का मौका मिले। जिस किसी व्यक्ति या सूमूह को कोई दुख तकलीफ हो व ऐसा ही निश्पक्ष मौका दिया जाए कि उनके दुख दर्द का न्यायिक फैसला हो सके जिसमें सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों और भलाई का उचित सम्मान हो।

अनुच्छेद–11 विश्व ओमबडस्मस

वर्ग ए : विश्व ओमबड्समस के कार्य व शक्तियाँ

जनता के रक्षक के रूप में विश्व ओमबड्समस के कार्य व शक्तियाँ निम्न प्रकार से होगी:

1. धरती के लोगों को वे सारे व्यक्तियों को सर्वत्र मानवीय और सिविल अधिकारियों के, जो कि अनुच्छेद 12 में और इस विश्व संविधान के अन्य सेक्शनों में दिए हैं, खण्डन अथवा उनसे लापरवाह होने से बचाना।
2. विश्व सरकार की किसी एजेन्सी या अधिकारी द्वारा इस विश्व संविधान के खण्डन से धरती के मनूष्यों की सुरक्षा जिसमें निर्वाचित और नियुक्त दोनों किस्म के अधिकारी या सार्वजनिक कार्यकर्ता चाहें वे किसी भी अंग, विभाग, कार्यालय, एजेन्सी अथवा स्थान पर क्यों नहीं, शामिल हैं।
3. इस विश्व संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए विश्व सरकार के लिए निर्देशक सिद्धान्त (directive principles) को कार्यान्वित (लागू) करने के लिए दबाव डालना।
4. विश्व कानून और विश्व विधि व्यवस्था को कार्यान्वित करना और प्रशासन में लाना, सामाजिक न्याय और ऊँच नीँच की दूरी को कम करने का आश्वासन देते हुए धरती के मनुष्यों की भलाई के लिए कार्य करना।
5. तकनीकी नवनिर्माण और पर्यावरण में दखलअंदाज़ी व अन्य विभ्भिन्न स्त्रोतों से होने वाले मानवीय संकटों (खतरों) से आगाह रहना व इसके सुधार या संकटों की रोकथाम के लिए कदम उठाना।
6. यह देखना कि अच्छे कानून, नियम और विश्व सरकार की प्रणालियों के प्रशासन का परिणाम अनदेखे अन्याय या असमानता तो नहीं है अथवा सरकारी मशीनरी या प्रशासन की बारीकियों में दबाव रह जाए।
7. विश्व ओमबड्समस के क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन, राजनीतिक संस्था या एजेन्सी की कोई शिकाएतें, दुख-दर्द या सहायता के लिए अनुरोध को ग्रहण करना और सुनना।
8. जहाँ और जैसी विश्व ओमबड्समस की दृष्टि से आवश्यकता हो, सही कानूनी कार्यवाही अथवा न्यायिक प्रक्रिया को शुरु करने के लिए विश्व अटर्नी जनरल के कार्यालय अथवा किसी क्षेत्रीय विश्व अटर्नी से अनुरोध करना।

9. जब भी विश्व ओमबड्समस को आवश्यक लगे, सीधे कानूनी कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया को सीधे तरीके से शुरु करे।
10. विश्व सरकार के विभागों, ब्यूरो, कार्यालयों, लोकायुक्तों, संस्थानों, अंगों और एजेन्सियों के कार्यों की समीक्षा करना यह जाने के लिए कि विश्व सरकार की प्रणालियों का उद्देश्यानुसार मानवीय भलाई के लए सबसे अच्छे तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं और सुधार के लिए सिफारिशें करना।
11. धरती के मनुष्यों के पूर्ण रूप से विश्व संसद को प्रेसीडियम को विश्व ओमबड्समस की गतिविधियों की एक वार्षिक रपट पेश करना जिसमें विधि अनुसार सुझाव दिए हों कि विश्व सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार आए।

वर्ग बी : विश्व ओमबड्समस की संरचना

1. विश्व ओमबड्समस की प्रधानता एक विश्व ओमबड्समस समिति के हाथ में होगी जिसमें 5 सदस्य होंगे जिनमें से एक मुख्य विश्व ओमबड्समस कहलाएगा व अन्य सह (associate) विश्व ओमबड्समस कहलाएँगे।
2. विश्व ओमबड्समस समिति के सदस्यों का नामांकन काउन्सिलरों की सभा द्वारा किया जाएगा जिसमें धरती के हर महाद्विपीय खण्ड से 3 नामांकन किए जाएँगे। हर 5 महाद्विपीय खण्डों से एक सदस्य समिति काउन्सिल के लिए विश्व संसद की 3 सभाओं के संयुक्त सत्र में प्लूरैलिटी मत द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
3. एक विश्व ओमबड्समस का कार्यकाल 10 वर्ष का होगा। एक विश्व ओमबड्समस 2 क्रमिक कार्यकालों में सेवारत रह सकता है। मुख्य विश्व ओमबड्समस का पद हर 2 वर्षों में चक्रित किया जाएगा। चक्र का क्रम विश्व ओमबड्समस समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. विश्व ओमबड्समस समिति की सहायता एक 20 सदस्यीय विश्व अधिवक्ताओं की समिति करेगी। विश्व अधिवक्ता लोकायुक्त के सदस्यों का नामांकन विश्व ओमबड्समस समिति द्वारा 20 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों से किये जाएँगे, हर क्षेत्र से 2 से 3 के बीच में नामांकन होंगे। हर 20 निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों से एक विश्व अधिवक्ता निनर्वाचित होगा। विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र द्वारा एक विश्व अधिवक्ता 5 वर्ष के कार्यकाल में सेवारत रहेंगे और अधिकतम 5 क्रमिक कालों तक सेवा प्रदान कर सकते हैं।
5. विश्व सरकार के मुख्य विश्व कार्यालय की प्राइमरी गद्दी के अलावा विश्व ओमबड्समस समिति 20 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करेगी। यह विश्व ओमबड्समस के 20 क्षेत्रीय कार्यालय विश्व अटर्नी के 20 कार्यालयों के (पैशलेल) साथ साथ आयोजित किए जाएँगे।
6. विश्व ओमबड्समस के हर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रधानता एक विश्व अधिवक्ता के हाथ में होगी। इन 5 क्षेत्रीय विश्व ओमबड्समस का निरीक्षण (देखरेख) एक सह विश्व ओमबड्समस करेगा।
7. कोई भी विश्व ओमबड्समस कारणवश विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र में बहुमत मत से पद से हटाया जा सकता है।
8. विश्व ओमबड्समस और विश्व ओमबड्समस के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकर्ता सिविल सूची से चयनित और नियुक्त किए जाएँगे।

9. विश्व ओमबड्समस और विश्व ओमबड्समस की योग्यता न्यूनतम 30 वर्ष की आयु, 5 वर्ष का कानूनी अनुभव व विधि की शिक्षा और अन्य काम आने वाली सम्बन्धित शिक्षा होगा।

अनुच्छेद–12 विश्व नागरिक का अधिकार विधेयक या विनिमय पत्र

धरती के संघ के अन्तर्गत आने वाले निवासियों और धरती के नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार हैं जो कि नीचे परिभाषित किए गये हैं। विश्व संसद, विश्व कार्यपालक व विश्व सरकार के सभी अंगों और एजेन्सियों के लिए इन अधिकारों का सम्मान, लागू करना व प्रवर्तन करना आवश्यक है, साथ में धरती के संघ के सभी सदस्यीय देशों की राष्ट्रीय सरकारों को भी ऐसा ही करना है। यदि इन अधिकारों के खण्डन या लापरवाही से व्यक्तियों या समूहों का हानि होती है, तब वे विश्व ओमबड्समस प्रवर्तन प्रणाली और विश्व न्यायालय के द्वारा अपनी दुख तकलीफे दूर करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इन मूल अधिकारों में निम्न सम्मिलित हैं :-

1. धरती के संघ के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बिना किसी रंग, रूप, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, राजनैतिक गंठबन्धन, जायदाद अथवा सामाजिक स्तर के मतभेद के।
2. धरती के संघ के सभी नागरिकों के लिए समान संरक्षण और विश्व कानून व्यवस्था व विश्व विधि को लागू करना।
3. विचार और आत्मा, प्रेस, लिखावट, संचार, अभिव्यक्ति, सम्पादन, टी.वी. और रेडियो प्रसार, सिनेमा की स्वतन्त्रता सिवाए हिंसात्मक प्रवृत्तियों को हवा देना, सशस्त्र दंगे इत्यादि।
4. जमाव, सेंगठन, संस्था, अर्जी और शान्तिपूण विरोध की स्वतन्त्रता।
5. बिना दबाव के मतदान की स्वतन्त्रता और राजनैतिक संगठन और बिना रोकटोक और भेदभाव के प्रचार प्रसार।
6. धार्मिक मत या कोई धर्म नहीं या धार्मिक भावना को मानने, उस पर अमल करने और उसे आगे बढ़ाने की स्वतन्त्रता।
7. राजनैतिक मत, भवनाएँ या कोई भी राजनैतिक भावना नहीं हो इसका प्रचार करना।
8. खोजबीन, शोध और रपट बनाने की स्वतन्त्रता।
9. बिना पासपोर्ट, वीज़ा या किसी भी तरह के पंजीकरण जो कि देशों के बीच यात्रा करने या देश के अन्दर यात्रा करने में लगाया जाए उसकी जरूरत नहीं है।
10. गुलामी, चपरासीगिरी, ज़बरदस्ती की नौकरी व मजदूरी की रोकथाम।
11. सैन्य conscription पर रोक थाम।
12. झूठमूठ और अनैतिक गिरिफ्तारी, बन्दगी, देश निकाला, तलाशी या ज़ब्त करने स सुरक्षा, तलाशी या गिरफ्तारी के लिए वारेण्ट की आवश्यकता।
13. खोजबीन, गिरफ्तारी, बन्दगी या हवालात में शारीरिक या मानसिक दबाव या दुर्व्यवहार, और दुराचारी या अस्वभाविक सज़ा पर प्रतिबन्ध।
14. हेबिएस कार्पस का अधिकार, कोई एक्स पसेस्ट फक्टो कानून नहीं, कोई दोहरी जेयोपार्डी नहीं, स्वयं इन्क्रिमेशन अथवा अन्य के इन्क्रिमेशन को मना करने का अधिकार।
15. सामान्य शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली व्यक्तिगत फौजों और पैरामिलिट्री संगठनों पर रोकथाम।

16. झूठमूठ के जायदाद ज़ब्त होने की रोकथाम, बिना सही मुवाज़े के अच्छी जगह पर राज्य शक्ति की सुरक्षा।
17. परिवार नियोजन का परिवार नियोजन के मकसदों को पाने के लिए मुफ्त सार्वजनिक सहायता।
18. व्यक्ति, परिवार या संगठन की प्राइवेसी का अधिकार, राजनैतिक नियन्त्रण के लिए निरीक्षण पर रोकथाम।

अनुच्छेद-13 विश्व सरकार के निदेशक सिद्धान्त

विश्व सरकार का यह उददेश्य होगा कि वह धरती के संघ के लिए उसके निवासियों के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित रखे, किन्तु इनके सर्वत्र उपलब्धि और प्रवर्तन की फौरन गारन्टी नहीं है। इन अधिकारियों को हम निदेशक सिद्धान्त कह सकते हैं, और विश्व सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इनके पूर्ण होने और लागू होने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी और उसमें निम्न सम्मिलित होंगे :-

1. सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रोजगार जिसमें इतना वेतन या लाभ हो कि मनुष्य आदरपूर्ण जीवन निर्वाह कर सके।
2. कार्य, नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के चुनाव में स्वतन्त्रता।
3. मानव जाति द्वारा जमा ज्ञान और सूचना को प्राप्त करने की पूरी सुविधा।
4. सभी के लिए नि:शुल्क और पूर्ण सार्वजनिक शिक्षा जो कि प्री विश्व विद्यालय के स्तर तक होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए एलीमेन्टरी और उच्च शिक्षा जीवन भर प्राप्त करने का समान अवसर, प्रत्येक व्यक्ति या अभिभावक का अधिकार कि वे किसी भी समय कोई निजी शिक्षात्मक संस्था का चुनाव कर सकें।
5. जीवन भर, स्वतन्त्र चुनाव के वातावरण में सभी को नि:शुल्क व सम्पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा देखभाल की उपलब्धि।
6. सभी के लिए आराम के समय का सामान अवसर, कार्य के भार को समाज में ज्यादा अच्छी तरह से वितरण करना जिससे सभी व्यक्तियों को समान रूप से कुछ खाली समय का अवसर मिले।
7. सभी को वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों और विकास से उत्पन्न लाभ का आनन्द प्राप्त करने के समान अवसर।
8. सभी के तकनीकी नवनिर्माण और विकास से होने वाली हानियाँ और संकटों से समान रूप से बचाव।
9. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जोकि सारी मानवता की समान रूप से निधि है और जिसकी देख रेख जैसे दूषित वातावरण, जीव जन्तु या हानि से बचाने से जीवन की रक्षा हो सकती है या जीवन के स्तर को गिराने से बचाया जा सकता है।
10. पृथवी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जिससे कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इस धरती के गृह पर जीवन का आनन्द प्राप्त होता रहे।
11. सभी को प्राप्त घर, खाने पीने की सामग्री, सुरक्षित और पर्याप्त जल पूर्ति, साफ़ और शुद्ध वायु जिसमें आक्सीजन पूर्ति सुरक्षित रहे और ओज़ोन परत बनी रहे, व सामान्यत: पर्यावरण ऐसा रहे कि स्वस्थ जीवन सभी को मिले इस बात का आश्वासन।

12. प्रत्येक बालक को अपने पूर्ण विकास का आश्वासन।
13. सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा जिससे वे बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, परिवारिक स्थितियों, अपंगता, प्राकृतिक परेशानियों, तकनीकी बदलाव, अवकाश के समय इतनी आय हो कि मानवीय तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें और वृद्धावस्था में जीवन के निर्वाह के साधन।
14. धरती पर जीवन के लिए संकट बनने हुए तकनीकी खतरे व पर्यावरण के विरोध द्वारा झंझट पैदा करने वाले तत्वों को जलदी से खत्म करना और उन पर रोक लगाना।
15. कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करना जिससे तकनीकियों के बदले में सुरक्षित नई प्रणालियों की खोज, उनको विकसित करना और स्थापित करना जिससे उन तकनीकों पर रोक लग सके और उन्हें खत्म कर दिया जाए जोकि जीवन के लिए हानिकारक और खतरनाक साबित हो सकती हैं।
16. सांस्कृतिक विविधता पर ज़ोर विकृत प्रशासन को प्रात्साहित करना।
17. अल्पसंख्यकों, रेफ्यूजियों और देश छोड़ने वालों को शान्तिपूर्ण स्वयं निश्चित करने की स्वतन्त्रता।
18. धरती पर कहीं भी रहने की स्वतंत्रता किन्तु अधिक संख्या में रेफ्यूजियों, व्यक्तियों या बड़े पैमानों पर देश बदलने के लिए अस्थायी जगह के प्रबन्ध।
19. मौत की सज़ा पर रोकथाम।

अनुच्छेद–14 सुरक्षाएँ और आरक्षण

वर्ग ए : कुछ सुरक्षाएँ

नीचे परिभाषित की गई सुरक्षाएँ विश्व सरकार द्वारा धरती के संघ के सभी देशों और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कार्य करेगा :-

1. इस बात की गारण्टी कि धरती के संघ के सभी सदस्यीय देशों के लिए विश्व संविधान के प्राविधानों के अर्न्तगत, सार्वजनिक कार्यों, रिकार्डों, विधि व्यवस्था व कानूनी प्रक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास और मान्यता दी जाएगी।
2. इस विश्व संविधान के कई प्राविधानों मुताबिक सिविल लिबर्टी और मानवीय अधिकार और जीवन के लिए सुरक्षित पर्यावरण, इस विश्व संविधान द्वारा दी गई गारण्टी और प्राविधानों के अर्न्तगत, धरती के संघ के सदस्यीय देशों और मुल्कों के अर्न्तगत अन्दरूनी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में चयन की स्वतंत्रता का आश्वासन।
3. जो देश अभी तक धरती के संध में शामिल नहीं है उनके निवासियों को घरती के संघ में संरक्षण देना और रहने का अधिकार।
4. जब धरती के संघ में धरती के कुछ क्षेत्र के 90 प्रतिशत लोग निवास कर रहे हों तब उन व्यक्तियों और समूहों को यह अधिकार देना कि विश्व सरकार द्वारा न तो संरक्षित हो न ही निषेध हो किन्तु यह क्षेत्र धरती के निवासीय क्षेत्र का 5 प्रतिशत से अधिक न हो, इसमें पूर्ण रूप सें निरस्तीकरण हो और यह हिस्तात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बेस के रूप में धरती के संघ के अथवा किसी सदस्यीय देश के विपक्ष में न प्रयोग किया जाए, और पर्यावरण अथवा तकनीकी हानियों से परे हो जोकि इस क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में भी हानि पहुँचा सकती हों।

वर्ग बी : शक्तियों का आरक्षण

जो शक्तियाँ इस विश्व संविधान के द्वारा विश्व सरकार को नहीं दी जाएँगी, वे धरती के संघ के देशों और घरती के लोगों के लिए आरक्षित होंगी।

अनुच्छेद-15 विश्व संघीय ज़ोन और विश्व राजधानियाँ

वर्ग ए : विश्व संघीय ज़ोन

1. 20 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों के अर्न्तगत 20 विश्व संघीय ज़ोन स्थापित की जाएँगी जिनका मकसद विश्व सरकार के विभिन्न अंगों की स्थापना, और प्रशासनिक विभागों की, विश्व न्यायलयों, क्षेत्रीय विश्व अटर्नियों के कार्यालयों, विश्व अटर्नियों के कार्यालयों व विश्व सरकार की अन्य शाखाओं, विभागों, संस्थाओं, कार्यालयों, ब्यूरो, लोकायुक्तों, एजेन्सियों और हिस्सों की स्थापना।
2. जैसे विश्व सरकार की आवश्यकताएँ और संसाधनों का विकास और बढ़ोत्तरी होती है, तो विश्व संघीय ज़ोन स्थापित की जाएँगी। विश्व संघीय ज़ोन हर 5 महाद्विपीय खण्ड में सबसे पहले स्थापित की जाएँगी।
3. विश्व संघीय ज़ोनों की स्थापना और प्रशासन पहले पाँचों को मिलाकर विश्व संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

वर्ग बी : विश्व राजधानियाँ

1. विश्व संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार हर 5 विश्व संघीय ज़ोनों में सबसे पहले स्थापित होने वाले धरती के 5 महाद्विपीय खण्डों में 5 विश्व राजधानियों की स्थापना।
2. विश्व संसद द्वारा विश्व राजधानियों में से एक प्राइमरी विश्व राजधानी कहलाएगा व 4 अन्य सेकेन्डरी विश्व राजधानियाँ कहलाएँगी।
3. विश्व सरकार के सभी अंगों की प्राइमेरी सीटें प्राइमेरी विश्व राजधानी में स्थापित की जाएँगी व विश्व सरकार के कई अंगों की अन्य खास सीटें सैकेण्डरी विश्व राजधानियों में स्थापित की जाएँगी।

वर्ग सी : स्थापना की प्रक्रियाँ

1. 5 विश्व राजधानियों और 20 विश्व संघीय ज़ोनो के स्थल प्रेसीडियम द्वारा प्रस्तावित किए जाएँगे और फिर विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र में सीधे बहुमत मतदान द्वारा निर्गत किए जाएँगे। प्रेसीडियम द्वारा प्रत्येक 20 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक क्षेत्रों में 2 या 3 स्थलों का चयन सामने रखा जाएगा और हर विश्व राजधानी के लिए 2 विकल्प रखे जाएँगे।
2. प्रेसीडयम फिर विश्व कार्यपालक के साथ सलाह करके यह प्रस्ताव रखेगा कि कौन सी 5 विश्व राजधानियों में से प्राइमेरी विश्व राजधानी बनेगा जोकि विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र में सीधी बहुमत मतदान द्वारा निर्णित किया जाएगा।
3. विश्व सरकार का हर अंग यह निर्णित करेगा कि 5 विश्व राजधानियों और 20 विश्व संघीय ज़ोनों में विश्व संसद के विशिष्ट निर्देशानुसार अपने कार्यो और गतिविधियों में सबसे उत्कृष्ट तरीके से आयोजित करेगा और वितरित करेगा।
4. विश्व संसद पाँचों विश्व राजधानियों में अपने सत्र घुमवाकर चक्र से आयोजित कर सकता है और यदि यह हुआ तब वह घुमाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा।

5. विश्व सरकार के पहले 2 कार्यान्वित कदमों के लिए जो कि अनुच्छेद 17 में दिये गये हैं व अस्थाई विश्व सरकार के लिए जो कि अनुच्छेद 19 में दिये हैं व अस्थायी विश्व सरकार के लिए जो कि अनुच्छेद 19 में दिये है, एक विश्व राजधानी का अस्थाई स्थल प्राइमरी विश्व राजधानी के लिए चयनित कर लिया जा सकता है। यह अस्थायी स्थल की तरह आगे भी रखा जाए।
6. कोई भी विश्व राजधानी ज़ोन यर विश्व संघीय ज़ोन विश्व संसद की तीनों सभाओं के संयुक्त सत्र मे दो तिहाई पूर्ण बहुमत मतदान से दूसरी जगह स्थापित की जा सकती है।
7. यदि प्रेसीडियम प्रस्ताव रखे और विश्व संसद की तीनों सभाओं का संयुक्त सत्र में पूर्ण बहुमत मतदान से ही सहमति हो, तब अतिरिक्त विश्व संघीय ज़ोनों की स्थापना की जा सकती है।

अनुच्छेद-16 विश्व क्षेत्र व बाहरी सम्बन्ध

वर्ग ए : विश्व क्षेत्र

1. जो धरती के और धरती के चाँद के क्षेत्र, धरती के संध की स्थापना के समय मौजूदा देशों के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, या जो राष्ट्रीय मिल्कियत और प्रशासन के परे हैं या जिनको कि धरती के संघ की स्थापना के पश्चात् विश्व क्षेत्र घोषित किया गया हे, वे विश्व क्षेत्र कहलाएँगें और धरती के सभी लोगों के होंगे।
2. विश्व क्षेत्र का प्रशासन विश्व संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विश्व कार्यपालक द्वारा कार्यान्वित (लागू) किया जाएगा और निम्न क्षेत्रफलों में जागू होगा :-
   1.सभी महासागर और समुद्र जिनकी प्रकृति अर्न्तराष्ट्रीय या राष्ट्रीयता को लाँघती है, इसमें सम्मिलित समुद्र तल और उसके संसाघन, 20 किलोमीटर की तटीय दूरी से प्रारम्भ होते हुए, और पुराने राष्ट्रीय मिल्कियत में आने वाले अन्द्रूनी समुद्रों को छोड़कर।
   2.महत्वपूर्ण स्ट्रेट चैनल व नहर।
   3.पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण, धरती के सामान्य स्थल से एक किलोमीटर ऊपर, उन क्षेत्रों के गडढों को छोड़कर जहाँ ऊँचाई में काफी उतार चढ़ाव है।
   4.मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह और धरती का चाँद।
   5.वे कालोनियाँ जो कि विश्व क्षेत्र में रहना चयनित करें, संयुक्त राष्ट्र या देशों के सामूहिक प्रशासन के निहित आने वाले अस्वतंत्र क्षेत्र, कोई भी द्वीप या एटौल जोकि किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाए गए हैं, स्वतन्त्रता स्थल या राज्य जो कि विश्व क्षेत्र में कहलाना पसन्द करतू हैं, विवादित स्थल जो कि विश्व क्षेत्र में कहलाना पसन्द करते हैं।
3. किसी भी विश्व क्षेत्र के निवासी, सिवाए विश्व संघीय ज़ोन कहलाने वाले, को यह अधिकार होगा कि वे प्लेबीसाइट (जनता का चुनाव) द्वारा निश्चित करें कि वे स्वयं सरकारी देश धरती के संघ में रहते हुए, अकेले या अन्य विश्व क्षेत्रों के साथ मिलकर या किसी मौजूदा देश के साथ मिलकर धरती के संघ में शामिल होंगे।

वर्ग बी : बाहरी सम्बन्ध

1. विश्व सरकार उन देशों के साथ बाहरी सम्बन्ध रखेगी जो कि धरती के संध मे नहीं जुड़े हैं। बाहरी सम्बन्ध प्रसीडियम के प्रशासन के अर्न्तगत आएँगे और यह हर समय विश्व संसद के विशिष्ट निर्देशों और सहमति के हिसाब से चलेंगे।
2. जो देश धरती के संघ के बाहर हैं उनसे सारी ट्रीटियाँ संधियाँ और सहमतियाँ को प्रेसीडियम द्वारा वार्तालाप किया जाएगा और विश्व संसद की तीनो सभाओं के बहुमत मतदान द्वारा पारित किया जाएगा।
3. धरती के संघ की विश्व सरकार दूसरे गृहों और आकाशीय पिण्डों से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेगी और जहाँ तक सम्भव होगा वहाँ के सम्भावित निवासियों से संचार स्थापित करेगी।
4. बाहरी अंतरिक्ष में होने वाली सारी खोज, धरती के सौर्य मण्डल के ही अलग निर्देशन में करेगी और वह इस प्रकार से होगी जैसा कि विश्व संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद–17 पारित करना व लागू करना

वर्ग ए : विश्व संविधान को पारित करना

विश्व संविधान धरती के देशों के समक्ष पारित होने हेतु निम्न प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :–

1. विश्व संविधान संयुक्त राष्ट्र संध की आम सभा को और धरती पर हर राष्ट्रीय सरकार को इस अनुरोध से प्रस्तुत किया जाएगा कि विश्व संविधान हर देश के राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के समक्ष प्रारम्भिक पारित होने के लिए व हर देश के लोगों के समक्ष लोकप्रिय रेफरेन्डम द्वारा अन्तिम पारित होने के लिए रखा जाएगा।
2. राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के मतदान के सीधे बहुमत द्वारा प्रारम्भिक पारित होना राष्ट्रीय कानून व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाएगा।
3. फानेल रैटिफिकेशन लोगों द्वारा मतदान से पूरा किया जाएगा। इसका प्राविधान यह है कि न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत योग्य मतदाता 18 वर्ष उसके ऊपर के, देश या राज्य में अन्दर अपना मतदान करेंगे या विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों के अर्न्तगत।
4. यदि राष्ट्र में कोई राष्ट्रीय कानून व्यवस्था नहीं है, तब राष्ट्रीय सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह प्रारम्भिक रैटिफिकेशन करे और लोकप्रिय रेफरेन्डम के आधार पर फाइनेल रैटिफिकेशन को विश्व संविधान के समक्ष प्रस्तुत करे।
5. यदि राष्ट्रीय सरकार 6 महीने के पश्चात् विश्व संविधान को रैटिफिकेशन प्रस्तुत करने से रह जाती है जैसा कि अनुरोध किया गया है, तब वह विश्व व्यापी एजेन्सी जो कि विश्व व्यापी रैटिफिकेशन कार्य के लिए सीधे जिम्मेदार है, वह पूरे राष्ट्रों या देशों के आधार पर एक सीधा रोफरेन्डम संचालित करा सकती है या राष्ट्रों के अन्दर मौजूदा परिभाषित समूहों के आधार पर।
6. यदि डाइरेक्ट रैटिफिकेशन रेफरेन्डम होता है, तब फाइनेल रफरेन्डम पूरा करने के लिए पूरे राष्ट्रीयता एक विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद में बहुमत मतदान किया जाएगा, यह मानते हुए कि मतदान न्यूनतम 25 प्रतिशत योग्य मतदाताओं द्वारा किया गया है जोकि 18 वर्ष या इसके ऊपर की आयु के हैं।

7. एक राष्ट्र के भीतर मौजूदा समूहों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की विधि यह होगी कि स्थानीय समूहों कम्यूनिटी, शहरों, प्रौविन्सों, कैप्टनों, प्रीफेक्चरों, ट्राइबिल क्षेत्रों या एक राष्ट्र के भीतर अन्य परिभाषित राजनैतिक इकाईयों से विश्व संविधान को पारित करने का अनुरोध करना और कम्यूनिटी या राजनैतिक इकाई द्वारा मतदान का एक रैफरेन्डम मत विश्व संविधान को सौपना। इस तरह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है जब तक कि सभी योग्य मतदाताओं, जिनकी आयु 18 वर्षो की या उससे अधिक हो, एक राष्ट्र या विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद के अर्न्तगत, मतदान करने का अवसर पा जाते हैं यह मानते हुए कि योग्य मतदाताओं के न्यूनतम 25 प्रतिशत द्वारा हुए हैं।
8. विश्व सरकार की पूर्ण कार्यान्वित स्थिति से पहले (पूर्व) जैसा अनुच्छेद 17 के सेक्शन ई में परिभाषित किया गया है, किसी भी देश के विश्व विद्यालय, कालेज, और वैज्ञानिक अकादमियों और संस्थानों द्वारा विश्व संविधान को पारित किया जा सकता है, जिससे वे विश्व संसद के सदस्यों के नामांकन के लिए योग्य हो जाते हैं कि काउन्सिलरों की सभा के लिए।
9. उन देशों के विषय में जा कि गम्भीर अर्न्तराष्ट्रीय मतभेदों में उलझे हैं या जहाँ 2 या उससे अधिक देशों के बीच पुरानी दुश्मनी या गहरे मतभेद चल रहे हों, एक कौनकरेन्ट पैर्ड रैटिफिकेशन की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी जिसमें वे देश जोकि वर्तमान या कई दिन पुराने अर्न्तराष्ट्रीय झगड़ों में उलझे हैं व साथ साथ विश्व संविधान को पारित कर सकेंगे। इन केसों में वे पैर्ड राष्ट्र धरती के संघ में एक साथ दाखिल किए जाएँगे और हर राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल सारे महाविनाशकारी हथियारों को विश्व सरकार को सौंप दे और झगड़े या मतभेद को माननीय शान्तिपूर्ण समझौते के लिए विश्व सरकार को सौप दें
10. हर राष्ट्र या राजनैतिक इकाई जोकि विश्व संविधान को पारित करता है, चाहें वह प्रारम्भिक या फाइनेल तौर पर पारित करे, वह कभी भी सशस्त्र बल या महाविनाश के हथियारों को धरती के संघ के किसी सदस्य या इकाई पर प्रयोग नहीं कर सकता है, चाहें कितना भी समझ क्यों न लग जाए सभी राष्ट्रों और राजनैतिक इकाइयों को पूरी तरह निरस्तीकरण करने में जोकि इस विश्व संविधान को पारित करते हैं।
11. जब यह पारित हो जाए, तो धरती के संघ का संविधान धरती का उच्चतम कानून बन जाएगा। जब यह धरती का संविधान पारित हो जाता है, तब किसी भी देश की कानून व्यवस्था जो इसे पारित करती है या उसका कोई भी प्रावधान, जो कि इस धरती के संविधान के विपरीत जाता है, उसे या तो हटा दिया जाएगा जिससे वह धरती के संघ के संविघान के अनुकूल बने, और यह प्रभावशाली होगा जैसे ही 25 देश इसे पारित कर देते हैं। धरती के संघ के संविधान के पारित होने के पूर्व राष्ट्रीय या राजकीय संविधानों को विश्व संघ में शामिल करने के लिए उनका संशोधन होना आवश्यक नहीं है।

<u>वर्ग बी : लागू करने के चरण</u>

1. एक अस्थायी विश्व सरकार बनाने के चरण के अतिरिक्त, इस विश्व संविधान को लागू करना और उसकी शर्तो के तहत विश्व सरकार को गठित करने के कार्य में तीन चरण हैं जो कि निम्न हैं जैसा कि अनुच्छेद 19 में प्रायोजित किया गया है।

   1.विश्व सरकार का पहला कार्यान्वित चरण।

2.विश्व सरकार का द्वितीय कार्यान्वित चरण।

3.विश्व सरकार का तृतीय कार्यान्वित चरण।

2. प्रत्येक चरण के प्रारम्भ और उसके दौरान, विश्व संसद और विश्व कार्यपालक मिलकर उद्देश्य निर्धारित करेंगे और साधन जुटाएँगे जिससे विश्व संविधान का प्रगतिशील तरीके से पालन किया जा सके और विश्व संसद द्वारा बनाए गये कानूनों का पालन किया जा सके।

वर्ग सी : विश्व सरकार का पहला कार्यान्वित चरण

1. विश्व सरकार का इस विश्व संविधान के अर्न्तगत प्रथम कार्यान्वित चरण तब लागू किया जाएगा जब कि परिपूर्ण संख्या में देश इसे पारित कर दें और/अथवा लोग निम्न शर्तों में से एक या अनेक या उसके बराबर इनकों मानें :-

   1.न्यूनतम 25 देशों द्वारा इसका प्रारम्भिक या फाइनल तरीके से पारित होना, हर एक की जन संख्या 1,00,000 से अधिक हो।

   2.प्रारम्भिक या फ़ाइनेल रैटिफ़िकेशन न्यूनतम 10 देशों द्वारा जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से ऊपर हो, साथ में सीधा रेफरेन्डम न्यूनतम 50 अरिक्ति निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों द्वारा।

   3.न्यूनतम 100 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों द्वारा सीधे रेफरेन्डम चाहें कोई देश इस तरह पारित न किया हो।

2. जिन सभी विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों में रैटीफिकेशन लोकप्रिय रैफ़रेन्डम द्वारा हुआ हो, उनमें विश्व संसद के सदस्यों का चुनाव जनता की सभा के लिए कराया जाएगा।
3. विश्व संसद के सदस्यों का चुनाव जनता की सभा के लिए साथ में लोकप्रिय रेफरेन्डम के चल सकता है, पहले विश्व सरकार बनने के चरण के व उसके बाद भी।
4. विश्व संसद के उन सदस्यों की नियुक्ति व चुनाव देशों की सभा के लिए उन देशों में कराया जा सकता है जहाँ प्रारम्भिक रैटिफेकशन हो चुका हो।
5. विश्व संसद के एक चौथाई सदस्यों का चुनाव, काउन्सिलरों की सभा के लिए, उननामांकनों में से किया जा सकता है जो कि उन विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा सौंपे गये हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय को रैटीफ़ाई (पारित) कर दिया है।
6. विश्व प्रेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल का चुनाव अनुच्छेद 6 के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा सिवाए इसके की काउन्सिलरों की सभा की नामौजूदगी में, नामांकन जनता की सभा और देशों की सभा के संयुक्त सत्र में सदस्यों द्वारा नामांकन किया जाएगा। जब तक यह उपलब्धि नहीं होती है, तब तक अस्थायी विश्व सरकार का प्रेसीडियम और काल्पनिक मंत्रीमण्डल, अनुच्छेद 19 के अनुसार सेवा प्रदान करता रहेगा।
7. जब इसकी रचना पूरी हो जाएगी, तब विश्व सरकार के पहले कार्यान्वित चरण के लिए बनाया प्रसीडियम मंत्री पदों को बाँटते व दोबारा बाँटते रहे। मंत्रीमण्डल और प्रेसीडियम के सदस्यों में और तुरन्त एक विश्व निरस्तीकरण एजेन्सी और विश्व आर्थिक व विकासीय संगठन की स्थापना करेंगे और इसे लागू करेंगे।
8. जो राष्ट्र इस विश्व संविधान को पारित करते हैं और फिर धरती के संघ में जुड़े हैं वे शीघ्र ही बड़े पैमाने पर विनाश के सभी हथियार उस एजेन्सी को सौंप देंगे जिसको विश्व निरस्तीकरण एजेन्सी द्वारा परिभाषित व पदस्थ किया गया है (अनुच्छेद 19 सेक्शन ए-2-डी, बी-6 और ई-5 देखें)। विश्व निररस्तीकरण एजन्सी तुरन्त इन हथियारों को स्थगित कर देगी व

आगे कोशिश करेगी कि इन्हें विच्छेद कर दे या शान्ति में उपयोग के लिए परिवर्तित कर दे अथवा इनकी सामग्री को दोबारा उपयोग करे अथवा सभी हथियारों को नष्ट कर दे। विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण में, पारित करते वाले राष्ट्र अपनी सशस्त्र फ़ौजो को रोक कर रख सकते हैं और इनके पास बड़ें पैमाने पर विनाश के हथियारों के अलावा जो हथियार हों, वे रोके जा सकते हैं जैसा कि विश्व निरस्तीकरण एजन्सी द्वारा परिभाषित व (designated) दिया गया हो।

9. विश्व सरकार के पहले चरण में, बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले हथियारों और अन्य फौजी खर्चों को समाप्त करने के साथ जितना इस चरण में ही कर लिया जाएगा, धरती के संघ के सदस्यीय राष्ट्र विश्व सरकार के ख़जाने में वार्षिक रूप से अपने फ़ौजी खर्चों से बचाई गई धनराशि का आधा भाग देंगे उस आखिरी वर्ष में जिससे पहले वे संघ से जुड़े थे और इस तरह की राशि देते रहेंगे जब तक कि विश्व सरकार पूरी तरह से कार्यान्वित न हो जाए। विश्व सरकार इस पूँजी का 50 प्रतिशत, विश्व आर्थिक विकास संस्था के कार्य व योजनाओं में प्रयोग करेगी।
10. विश्व संसद और विश्व कार्यपालक अंगों को, विभागों, एजेन्सियों और गतिविधियों को, जोकि अस्थायी विश्व सरकार के अर्न्तगत आते हैं, और आवश्यकतानुसार उनके संशोधनों को विकसित करते रहेंगे, और आगे प्रारम्भ करतें रहेंगे और संस्थापित करते रहेंगे निम्न अंगों, विभागों और विश्व सरकार की एजेन्सिों को, जो कि यदि अभी तक शुरु नहीं हुई हैं, साथ में ऐसे और विभागों के और एजेन्सियों के जैसे कि विश्व सरकार के पहले चरण में इच्छुक हों या संस्थापित कर सकी जा सकें।
    1. विश्व उच्चतम न्यायालय
    2. कार्यान्वित प्रणाली
    3. विश्व ओमबड्समस
    4. विश्व सिविल सर्विस प्रशासन
    5. विश्व वित्तीय प्रशासन
    6. शोध और योजना की ऐजेन्सी
    7. तकनीकी और पर्यावरण आँकने की ऐजेन्सी
    8. एक आपातकालीन धरती बचाव प्रशासन जो कि मौसम में बदलाव व सम्बन्धित विषयों से ताल्लुक रखता हो
    9. एक समन्वित विश्व उर्जा प्रणाली जोकि पर्यावरण के सुरक्षित स्त्रोतों पर निर्भर हो।
    10. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक विश्व विद्यालय प्रणाली
    11. एक विश्व कार्पोरेशन कार्यालय, कौमर्स और उद्योग विभाग के अन्तर्गत
    12. एक विश्व सर्विस को
    13. एक विश्व महासागर और समुद्र प्रशासन
11. प्रथम कार्यकारिणी चरण के प्रारम्भ में प्रेसीडियम कार्यपसलक मंत्रीमण्डल की सलाह से एक प्रस्तावित कार्यक्रम बनाएगा और पेश करेगा जिससे मानवता की सबसे अहम और गूढ़ समस्याओं का हल निकाला जा सके।

12. विश्व संसद विश्व समस्याओं के हल पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। विश्व संसद और विश्व कार्यपालक अपने विभिन्न अंगों, विभागों और विश्व सरकार की एजेन्यिसों द्वारा जैसे भी उसके पास संसाधन हो और जैसा सम्भव हो उसके द्वारा विश्व कानून व्यवस्था, विश्व विधि और विश्व संविधान के लागू करने और और कार्यान्वित करने के लिये और खास तौर से कुछ निर्णायक कदम धरती के लोगों की भलाई के लिए लें जो कि सारे विश्व के लिए सही बैठे, जो कि निम्न विषयों को शामिल करे किन्तु इन तक सीमित न हो।

1. एक आपातकालीन धरती बचाव प्रशासन को जलदी संगठित करे और कार्य में लाए जोकि मौसम के बदलाव और मौसम के संकट पर घ्यान दे सके।
2. नई वित्तीय, उधार और मानेटरी प्रणाली को जलदी बनाना जोकि मानवीय जरूरतों को पूरा कर सके।
3. एक समन्वित विश्व उर्जा प्रणाली को जल्दी लागू करे, जो कि सौर्य उर्जा का प्रयोग करे, हाइड्रोजन उर्जा और अन्य सुरक्षित और देर तक चलने वाले उर्जा के स्त्रोतों को जल्दी लागू करे।
4. कृषि उत्पादन के लिए एक विश्व कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जिससे सर्वाधिक लगातार उत्पादन हो ऐसे वातावरण में जोकि जीवजन्तु के लिए भी सही हो।
5. धरती के संघ में स्वतंत्र व्यापार के वातावरण को स्थापत करना।
6. परमाणु उर्जा योजनाओं के मोरेटोरियम को लागू करने के लिए रास्ते ढूँढ़ना, उसकी आवाज़ उठाना जब तक कि सुरक्षा सम्बन्धी सारी समस्याएँ सुलझ जाएँ, ज़हरीले वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज़ आफ किया जा सके और परमाणु हथियारों के उत्पादन वाली सामग्रियों को अन्य कार्यों में उपयोग करना व उनके खतरों से सावधान रहना।
7. परमाणु हथियारों व महाविनाशकारी सभी हथियारों के उत्पादन को पूर्ण रूप से बन्द कर देना और मना कर देना।
8. धरती पर सभी के लिए पर्याप्त और शुद्ध जल और शुद्ध वायु पूर्ति के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
9. धरती के संसाधनों का संरक्षण और उन्हें परिवर्तित रूप में दोबारा प्रयोग में लाने के विश्व व्यापी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
10. जनसंख्या की बढ़ोत्तरी को नियन्त्रित करने के लिए एक माननीय कार्यक्रम को विकसित करना खासतौर से जीवन के स्तर को ऊँचा उठाकर।

वर्ग डी : विश्व सरकार का द्वितीय कार्यान्वित चरण

1. विश्व सरकार का द्वितीय कार्यान्वित चरण तब लागू जब 50 प्रतिशत या उससे अधिक धरती के राष्ट्र या तो प्रारम्भिक या फाइनेल तौर पर विश्व संविधान को पारित कर देंगे, यह होते हुए कि धरती की 50 प्रतिशत जनसंख्या या तो पारित करने वाले राष्ट्रों में आती है या फिर सभी पारित करने वाले राष्ट्रों और अतिरिक्त विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों के अर्न्तगत आती है जहाँ लोगों ने विश्व संविधान को सीधे रेफरेन्डम से पारित किया है।

2. विश्व संसद के सदस्यों का विश्व संसद की तीनों सभाओं में निर्वाचन और नियुक्ति इस प्रकार से की जाएगी जैसा कि पहले कार्यान्वित चरण के अनुच्छेद 17 के सैक्शन सी - 2,3,4 और 5 में दिया गया है।
3. विश्व संसद के सदस्यों का कार्यकाल जोकि विश्व सरकार के पहले कार्यान्वित चरण में निर्वाचित या नियुक्त किए गए हों, वे दूसरे कार्यान्वित चरण में बढ़ा दी जाएगी सिवाए यदि 5 वर्षो क कार्यकाल में सेवा प्रदान कर चुके हो जिस सूरत में नए चुनाव या नियुक्तियों काआयोजन किया जाएगा। जो सदस्य विश्व संसद में दूसरे कार्यान्वित चरण में पहले चरण से आए हैं उनका काल नए निर्वाचित सदस्यों के साथ ही दूसरे कार्यान्वित चरण के प्रारम्भ से चलेगा।
4. विश्व सरकार के द्वितीय कार्यान्वित चरण में विश्व प्रेसीडियम और विश्व कार्यापालक को पुर्ननिर्माण और पुनः स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
5. विश्व संसद और विश्व कार्यपालक विश्व सरकार के पहले कार्यान्वित चरण से ही बने हुए अंगों, विभागों, एजन्सियों और गतिविधियों को ऐसे संशोधनों के साथ जो आवश्यक हों, ज़ारी रखेगा, और आगे ऐसे अन्य अंगों और मुख्य विभागों और विश्व सरकार की एजेन्सियों को विकसित करेंगे और स्थापित करेंगे जितना की द्वितीय कार्यान्वित चरण में सम्भव हो।
6. जो राष्ट्र धरती के संविधान से जुड़े हों जिससे विश्व सरकार के दूसररे कार्यान्वित चरण की रचना हो, वे तुरन्त ही महाविनाशकारी सभी हथियार और सभी फौजी हथियारों को विश्व निरस्तीकरण एजन्सी को स्थानान्तरित कर देंगे जो कि तुरन्त उन हथियारों और सामान को स्थगित (immobilze) कर देगी और फिर उन्हें विच्छैद करेगी, शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए परिवर्तित करेगी, उन्हें परिवर्तित रूप से दोबारा प्रयोगब करेगी या फिर इस तरह के शस्त्रों और सामान को नष्ट कर देगी। दूसरे कार्यान्वित चरण में, सभी शस्त्र सेनाओं को और राष्ट्रों के पैरा-मिलिट्री फौजों को जाकि धरती के संघ में सम्मिलित हुए हों व पूर्ण रूप से निरस्तीकरण कर दिये जाएँगे और या तो इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा या स्वयं सेवा से नान मिलिट्री विश्व सर्विस को के तत्वों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
7. विश्व सरकार के द्वितीय कार्यकारी चरण में, महाविनाशकारी हथियारों और अन्य सैन्य खर्चों को समाप्त करेन के साथ जितना इस चरण में ही कर लिया जाएगा, धरती के संघ के सदस्यीय राष्ट्र विश्व सरकार के खज़ानों में अपने फौजी खर्चों से बचाई गई धनराशि का आधा भाग देंगे उस आखिरी वर्ष में जिससे पहले वे संघ से जुड़े थे और इस तरह की राशि देते रहेंगे जब तक कि विश्व सरकार पूरी तरह से कार्यान्वित न हो जाए। विश्व सरकार इस पूँजी का 50 प्रतिशत विश्व आर्थिक विकास संस्था के कार्य व योजनाओं में प्रयोग करेगी।
8. द्वितीय कार्यान्वित चरण के लिए विश्व कार्यपालक मंत्रीमण्डल के गठन पर, प्रेसीडियम संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को एक नियन्त्रण भेजेगा और संयुक्त राष्ट्र की सभी विशिष्ट एजन्सियों को, जिनका इस प्रकार स्थानान्तरण हो सकता है, उनका पुननिर्माण होगा आवश्यकतानुसार और वे कई अन्य अंगों, विभागों, कार्यालयों और विश्व सरकार की एजेन्सियों में सम्मिलित हो जाएँगे।

9. दूसरे कार्यान्वित चरण के प्रारम्भ में प्रसीडियम कार्यपालक मंत्रीमण्डल की सलाह से एक प्रस्तावित कार्यक्रम पेश करेगा जिससे धरती के लोगों में प्रमुख व महत्वपूर्ण विश्व समस्याओं को सुलझाया जा सके।
10. विश्व संसद ऐसी कानून व्यवस्था तैयार करेगी कि एक परिपूर्ण कार्यक्रम के तहत मौजूदा गूढ़ विश्व समस्याओं का निवारण हो सके।
11. विश्व संसद और विश्व कार्यपालक दोनो साथ में कार्य करते हुये विश्व सरकार के कई अंगों, विभागों और एजन्सियों के द्वारा विकसित करेगी। जो भी साधन उसे सही व परियुक्त लगेंगे कानून लागू करने के लिए जिससे विश्व की समस्याओं का समाधान हो सके और मुख्यत: धरती के लोगों की भलाई के लिए एसे निर्णयक कदम उठायेंगे जाकि निम्न हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं :-
    1. सभी महासागर, समुद्र और नहरें जिनका राष्ट्र से परे चरित्र है (अन्दर समुद्रों को छोड़कर जोकि कायदे सेकिसी खास देश में हों) 20 कि.मि. की समुद्र तटीय दूरी से, वे धरती के संघ के सीधे (direct) नियन्त्रण में होंगे और मानवता की समान रूप से मिल्कियत में और विश्व सरकार के नियन्त्रण व प्रबन्ध में।
    2. सभी पोलर कैप और आस पास चारों और के पोलर क्षेत्र, जिसमें एन्टार्टिका का महाद्वीप भी आता है किन्तु वे क्षेत्र नहीं हैं जो कि पहले से ही किसी विशेष राष्ट्र का हिस्सा हों, वे विश्व क्षेत्र कहलाएँगे और धरती के साम्राज्य में आयेंगे, मानवता का समान रूप से इन पर अधिकार होगा और विश्व सरकार के नियन्त्रण और प्रबन्ध के आधीन रहेंगे।
    3. महाविनाशकारी सभी हथियार, व अन्य सैन्य शस्त्र और सामान रखना, जमा करना, उपयोग करना और बेचना।
    4. धरती के लोगों के लिए एक सदैव भरी रहने वाली खाद्य सामग्री और खाद्य पूर्ति व्यवस्था की स्थापना।
    5. पहले कार्यान्वित चरण के सेक्शन सी-90 और सी-92 द्वारा परिभाषित सभी कार्यों को जहाँ तक सम्भव हो, आगे बढ़ाना और विकसित करना।

<u>वर्ग ई : विश्व सरकार का पूर्ण कार्यान्वित चरण</u>

1. जब विश्व संविधान को प्रारम्भिक एवं पूर्ण रूप से पारित किया जाता है चाहें वह (ए) या (बी) की शर्त को पूर्ण करे तब विश्व सरकार का पूर्ण कार्यान्वित चरण लागू किया जाएगा।

    1. धरती के 80 प्रतिशत या अधिक राष्ट्रों द्वारा पारित होना जिसमें कम से कम धरती की 90 प्रतिशत जनसंख्या या
    2. पारित होना जिसमें 90 प्रतिशत धरती की जनसंख्या सम्मिलित हो, चाहे वह पारित होने वाले राष्ट्रों के भीतर की हो या फिर पारित होने वाले राष्ट्रों के साथ अतिरिक्त पारित होने वाले राष्ट्र जिनमें विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद हों जहाँ सीधे रेफरेन्डम द्वारा पारित पूरा हुआ है जैसा कि अनुच्छेद 17 के सेक्शन ए में दिया गया है।

2. जब विश्व सरकार पूर्ण कार्यान्वित चरण तक पहुँच गई है, तब निम्न शर्तों को लागू किया जाएगा :-

1.जहाँ अभी तक चुनाव नहीं हुये हैं, उन विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों में जनता की सभा के लिए सदस्यों का चुनाव होगा, और राष्ट्रों की सभा के सदस्यों का नामांकन और चुनाव राष्ट्र कानून व्यवस्था या सभी राष्ट्रों की राष्ट्र संस्थाओं द्वारा जहाँ अभी तक चुनाव नहीं हुये हैं वहाँ होंगे।

2.वित्तीय कार्यान्वित चरण में सेवा करने वाले जनता की सभा और राष्ट्रों की सभा के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण कार्यान्वित चरण तक चलता रहेगा, जिन्होंने 5 वर्षों तक पहले ही सेवा प्रदान की है, उन मामलों में निर्वाचन आयोजित किया जाएगा या नियुक्तियाँ की जाएँगी जैसी आवश्यकता हो।

3.जनता की सभा और राष्ट्रों की सभा के जिन सदस्यों के कार्यकाल के अभी 5 वर्ष से कम हुए हैं, वे विश्व ससंद के उन सदस्यों के कार्याकल के साथ चलेगा जिनके काल पूर्ण कार्यान्वित चरण के साथ प्रारम्भ हो रहे हैं।

4.काउन्सिलरों की सभा के दूसरे 100 सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 5 के सेक्शन ई में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा। काउन्सिलरों की सभा के जो सदस्य पुराने चरण से नये चरण में आते हैं उनको पूर्ण कार्यान्वित चरण के प्रारम्भ से 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जायेगा व जो सदस्य पूर्ण चरण से अपना कार्यकाल प्रारम्भ कर रहे हैं, वे 10 वर्षों तक सेवा कर सकेंगे।

5.अनुच्छेद 6 के प्राविधानों के अनुसार प्रेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल का पुर्ननिर्माण किया जाएगा।

6.विश्व सरकार के सभी अंगों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा, और प्रभावशाली प्रशासन व विश्व कानून व्यवस्था और विश्व विधि और विश्व संविधान के प्राविधानों को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा

7.जिन राष्ट्रों ने अभी तक एसा नहीं किया है वे तुरन्त सारे सैन्य शस्त्रों और सामान को शीघ्र ही विश्व निरस्तीकरण एजन्सी को स्थानान्तरित कर दें जो कि तुरन्त इन हथियारों की निषफल (immobilize) रोक दें और आगे कर इन्हें विच्छेद कर दें, शान्तिपूर्ण उपयोग में लायें व अनके तत्वों को दोबारा परिवर्तित रूप में प्रयोग करें या फिर सारे हथियारों को नष्ट कर दें।

8.हर प्रकार की सभी सेनाएँ व सैन्य बलों को पूर्ण रूप से निरस्तीकरण कर दें, और या तो इनको खण्डित कर दें या परिवर्तित कर दें और असैन्य विश्व सर्विस के साथ स्वयं सेवी के आधार पर मिला दें।

9.संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी कार्य करने योग्य एजन्सियों को व अन्य योग्य अर्न्तराष्ट्रीय एजन्सियों को राष्ट्र सरकारों में स्थापित करना, उनके कार्यकर्ताओं और संसाधनों के साथ उन्हे विश्व सरकार में स्थानान्तरित कर देना चाहिए और उनका पुनः निर्माण और एक में जोड़ना जैसा कि विश्व सरकार के अंगों, विभागों, कार्यालयों, संस्थानों, लोकायुक्तों, ब्यूरो और एजन्सियों को।

10.जो गतिविधयाँ और योजनाएँ विश्व सरकार के द्वितीय कार्यान्वित चरण से चल रहे हैं, उन्हें विश्व संसद और विश्व कार्यपाक आगे भी विकसित करती रहेगी। एसे संशोधनों में जो आवश्यकतानुसार हो और एक एसे पूर्णरूप कार्यक्रम को चलाए जिससे विश्व समस्याओं का हल निकले जो धरती के लोगों की भलाई करे विश्व संविधान के प्राविधानों के अनुसार।

वर्ग एफ : अनुसर्मथन की लागत

धरती के निजी नागरिकों के कार्य और खर्चे धरती के साम्राज्य के लिए एक पारित संविधान की उपलब्धि के लिए विश्व संविधान की स्थापना के जायज खर्चे हैं जिसस कि वर्तमान और भविष्य पीड़ियाँ और लाभ उठाएँगी, और विश्व सरकार के विश्व वित्तीय प्रशासन द्वारा असली रकम का दोगुना किया जाएगा। जब 25 देश उस संविधान को धरती के साम्राज्य के लिए पारित इसे कार्यान्वित करते हैं वापस देने वाली रकम में सम्मिलित है वे दान जोकि विश्व सरकार फण्डिंग कार्पोरेशन को दिये गये हैं, अन्य खर्चे और दान जो कि विश्व वित्तीय प्रशासन द्वारा स्थापित किये गये स्तरों और प्रक्रियाओं द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

अनुच्छेद-18 संशोधन

1. विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण के सम्पूर्ण होने के पश्चात्, विश्व संविधान द्वारा 2 तरह से संशोधनों को विचार के लिए प्रस्तापित किया जा सकता है :-
   1. विश्व संसद की किसी सभा द्वारा सीधे बहुमत मतदान द्वारा 2.20 विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों में से कुल 2,00,000 लोगों द्वारा, जो कि विश्व चुनाव में मतदान के योग्य हैं, पेटीशन पर हस्ताक्षर करके जब विश्व संविधान को पूर्ण (final) पारित होन की प्राप्ति हो जाती हैं।
2. विश्व संसद की तीनों सभाओं में हर एक में अलग अलग मतदान द्वारा दो तिहाई का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, तभी विश्व संसद की किसी सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. लोकप्रिय पटीशन द्वारा प्रस्तावित संशोधन को पहले ही जनता की सभा का सीधा बहुमत प्राप्त होना चाहिए जोकि प्रस्तावित संशोधन पर फिर मत ले सकता है। उसके पश्चात् विश्व ससंद की तोनों सभाओं में हर एक में अलग अलग मतदान द्वारा दो तिहाई का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी विश्व संसद की किसी सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. समय समय पर किन्तु विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण के लिए विश्व संसद के पहले गठन ले लेकर 10 वर्षो से अधिक नहीं, और फिर हर 20 वर्षो के बाद, विश्व संसद के सदस्य एक सत्र में मिलेंगे जिसमें एक संविधानिक सम्मेलन का आयोजन होगा जिसमें विश्व संविधान की समीक्षा की जाएगी जिससे सम्भावित संशोधनों पर विचार किया जाए और उनका प्रस्ताव रखा जाए, जिसके बाद फिर आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 18 के क्लौज 2 में दिये गये प्राविधनों के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।
5. यदि 1995 तक विश्व सरकार प्रथम कार्यान्वित चरण तक नहीं पहुँच सकते, तब अस्थायी विश्व सरकार जैसा कि अनुच्छेद 19 मे दिया गया है, विश्व संविधानिक असैम्बली का एक विशेष सत्र बुला सकती है जो कि धरती के साम्राज्य के संविधान की समीक्षा करे और अस्थायी विश्व सरकार में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संभावित संशोधनों पर विचार करे।
6. यहाँ दी गई संशोधन प्रक्रियाओं के अलावा, विश्व संविधान का कोइ भी हिस्सा अलग न किया जाए, निलम्बित (suspend) या सबवर्टेड न किया जाए, न आपातकालीन परिस्थितियों में न चालाकी में अथवा सुविधा के लिये।

अनुच्छेद–19 अस्थायी विश्व सरकार

वर्ग ए : विश्व कान्सटीट्युएन्ट सभा द्वारा लिये जाने वाले कार्य

विश्व संवैधानिक सभा द्वारा विश्व सविधान अपनाने के बाद, सभा व एसी अन्य आगे कार्य करने वाली एजन्सी या एजेन्सियों, जो कि निर्धारित की जाती हैं, वे निम्न कार्य करेंगी, किन्तु इन तक सीमित नहीं रहेगी :-

1. विश्व सरकार के लिए इस विश्व संविधान को पारित करने हेतु सभी राष्ट्रों, जनसमूहों और धरती के लोगों का आहवान जारी करना।
2. निम्न तैयारी आयुक्तों को स्थापित करना :-
   1.पारित आयुक्त
   2.विश्व निर्वाचन आयुक्त
   3.विश्व विकास आयुक्त
   4.विश्व निरस्तीकरण आयुक्त
   5.विश्व समस्याएँ आयुक्त
   6.नामांकन आयुक्त
   7.वित्तीय आयुक्त
   8.शान्ति शोध और शिक्षा आयुक्त
   9.सबसे गूढ़ विश्व समस्याओं में हर एक के लिए विशेष आयुक्त
   10.अस्थायी विश्व सरकार
3. अस्थायी विश्व संसद के सत्रों का आयोजन जहाँ तक हो सके, निम्न परिस्थितियों के अर्न्तगत:-
   1.500 या अधिक सदस्यों को शामिल होने का आश्वासन, जोकि 5 महाद्वीपों के 20 देशों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करें जैसा कि अनुच्छेद 19 के सेक्शन सी में दिया गया है।
   2.अस्थायी विश्व सांसद के सत्रों के आयोजन की न्यूनतम पूँजी या तो हाथ में हो अथवा पूर्ण रूप से शपथ हीन
   3.कम से कम 9 महीने पहले से यथोचित स्थलों को पक्का कर लेना जब तक कि आपातकालीन परिस्थितियों कम समय के नोटिस का औचित्य नहीं स्थापित करती हैं।

वर्ग बी : तैयारी आयुक्तों के कार्य

1. विश्व संविधान के पारित होने के लिए, पारित करने वाले आयुक्त एक विश्व व्यापी प्रचार करेंगे, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रारम्भिक रैटीफिकेशन लेने के लिए भी जिसमें राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था शामिल है और लोगों द्वारा फाइनेल रैटीफिकेशन के लिए भी जिसमें जन समूह शामिल हैं। रैटीफिकेशन कमीशन अपना कार्य कररती रहेगी जब तक पूर्ण कार्यान्वित चरण की प्राप्ति नहीं हो जाती है।
2. विश्व निर्वाचन कमिशिन एक अस्थाई विश्व नक्शा तैयार करेगी जिसमें विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपद और क्षेत्र आयेंगे जोकि विश्व सरकार के प्रथम और द्वितीय कार्यान्वित चरण में संशोधित किया जा सकता है और जिसमें योजना होगी कि विश्व संसद के सदस्यों को जनता की सभा और काउन्सिलरों की सभा के लिए कैसे निर्वाचित किया जाए। विश्व निर्वाचन आयुक्त धीरे धीरे विश्व सीमाओं और निर्वाचन प्रशासन में परिवर्तित हो जाएगा।

3. 6 महीने बाद, जिन देशों की राष्ट्रीय सरकारों ने रैटीफिकेशन के आहवान का अनुकूल ढंग से नहीं उत्तर दिया है, तब रैटीफिकेशन कमीशन और विश्व निर्वाचन संविधान संयुक्त रूप से आगे बढ़ेगा कि विश्व संविधान को सीधे लोकप्रिय रैफरेन्डम द्वारा पारित करने और साथ में विश्व संसद के सदस्यों का चुनाव करना किया जाए।
4. रैटीफिकेशन कमीशन विश्व संविधान को सम्पूर्ण विश्व के विश्वविद्यालयों और कालेजों को भी रैटीफिकेशन के लिए सौंप सकता है।
5. विश्व विकासीय कमीशन विश्व आर्थिक विकास संस्था की रचना की योजना बना सकता है जोकि उन सभी राष्ट्रों और लोगों में सेवा प्रदान करें जिन्होंने विश्व संविधान को पारित कर दिया है और विशेषत: अल्प विकसित देश, कार्य प्रारम्भ कर दें जब अस्थाई विश्व सरकार की स्थापना हो जाती है।
6. विश्व निरस्तीकरण कमीशन विश्व निरस्तीकरण एजन्सी के आयोजन की योजनायें बनाएगी, और यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगी जैसे ही विश्व सरकार की स्थापना हो जाती है।
7. अस्थायी विश्व संसद और अस्थायी विश्व सरकार को सम्भावित कदम उठाने के लिए विश्व समस्याएँ कमिशन एक गूढ़ विश्व समस्याओं का एजन्डा बनाएगी जिसे लिखित रूप से रखा जाएगा।
8. अस्थाई विश्व संसद के आयोजन से पूर्व, नामांकन आयुक्त एक नामांकनों की सूची तैयार करेगी जिससे अस्थाई विश्व सरकार के लिए प्रेसीडियम और कार्यपालक मंत्रीमण्डल की रचना की जाएगी।
9. अस्थायी विश्व सरकार को वितत प्रदान के लिए वित्तीय आयुक्त रास्ते और साधनों पर कार्य करेगी।
10. विशेष विश्व समस्याओं पर आयोजित विभिन्न आयुक्त विश्व प्रस्तावित न्याय व्यवस्था की तैयारी व हर समस्या के लिए कदम उठाने पर कार्य करेगी जिसे अस्थाई विश्व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जब उसकी बैठक बुलाई जाए।

वर्ग सी : अस्थाई विश्व संसद की संरचना

1. अस्थाई विश्व संसद निम्न सदस्यों द्वारा रचित की जाएगी :-
   1. वे सदस्य जो कि 1996 और 1999 के विश्व संवैधानिक सभा के सत्रों के सदस्य रहे हों और जो धरती के साम्राज्य के संशोधित रूप को दोबारा समर्थ देते रहें।
   2. जो व्यक्ति निर्वाचन पेटीशनों के लिए आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं या फिर जिन्हें गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो जो कि इस कार्य के लिए सहमति प्राप्त प्रतिज्ञाओं को अपनाते हैं या फिर जो दूसरी तरह से परिपूर्ण हैं जैसा कि विशिष्ट शर्तों के रूप में अस्थायी विश्व संसद के विशेष सत्रों में बंलाने के आहवाहन के रूप में दिया गया है।
   3. जनता की सभा के लिए विश्व संसद के सदस्य जिनका चुनाव विश्व निर्वाचन और प्रशासनिक जनपदों द्वारा अस्थायी विश्व संसद के आयोजन के समय तक किया गया है। विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण तक पहुँचने तक विश्व सदस्य के वे सदस्य जो कि जनता की सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, अस्थायी विश्व संसद में लगातार जड़ते रहेंगे।

4.देशों की सभा के लिए विश्व संसद के सदस्य जो कि राष्ट्र कानून व्यवस्था द्वारा निर्वाचित किए गये हैं अथवा विश्व संसद के आयोजन के समय राष्ट्रीय सरकारें द्वारा नियुक्त किये गये हैं। विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण तक पहुँचने के लिए विश्व संसद के वे सदस्य जो कि जनता की सभा के लिए निर्वाचित हुये हैं अस्थायी विश्व संसद में लगातार जुड़ते रहेंगे।

5.वे विशविद्यालय और कालेज जिन्होने विश्व संविधान को पारित किया है, वे व्यक्तियों को काउन्सिलरो की सभा के लिए विश्व संसद के सदस्यों के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए नामांकित कर सकते हैं। जनता की सभा और और देशों की सभा मिलकर फिर ऐसे नामांकनों का चुनाव कर सकते हैं जोकि विश्व संसद के 50 सदस्यों के रूप में अस्थाई विश्व सरकार की काउन्सिलरों की सभा में सेवा प्रदान करे।

2. अस्थायर विश्व संसद के वर्ग (ए) और (बी) में ऊपर परिभाषित सदस्य तब तक सेवा प्रदान करेंगे जब तक कि विश्व सरकार का प्रथम कार्यान्वित चरण घोषित नहीं हो जाता किन्तु इनका पुर्नचुनाव विश्व संसद के सदस्यों के रूप में होने से यह लगातार प्रथम कार्यान्वित चरण में कार्य करेंगे।

वर्ग डी : अस्थाई विश्व कार्यपालक का निर्माण

1. जैसे ही अस्थाई विश्व संसद फिर से बैठती है, वे अस्थाई विश्व संसद और अस्थायी विश्व सरकार के लिए एक नये प्रसीडियम का चुनाव करेगी। उन नामांकनों में से जो नामांकन आयुक्त द्वारा सौंपे गये हैं।
2. अस्थाई विश्व संसद के सदस्य 3 वर्षों के कार्यकाल तक सेवा प्रदान करेंगे और अस्थाई विश्व ससंद द्वारा दोबारा निर्वाचित किये जा सकते हैं किन्तु हर सूरत में वो केवल प्रसीडीयम के निर्वाचन तक ही सेवारत रहेंगे विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण के अर्न्तगत।
3. प्रसीडियम कार्यपालक मंत्रीमण्डल के अतिरिक्त नामांकन कर सकता हूँ।
4. अस्थाई विश्व संसद कार्यापालक मंत्रीमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन करेगा।
5. फिर प्रसीडियम मंत्रियों के पदों को कार्यपालक मंत्रीमण्डल और प्रसीडियम में निर्धारित करेगा।
6. जब सेक्शन डी के (4) के जरिये प्रथम चरण पूर्ण हो जाता है, तब अस्थाई विश्व सरकार को कार्यान्वित घोषित करर दिया जायेगा जिससे वह मानवता की भलाई के कार्यो में जुट जाए।

वर्ग ई : अस्थाई विश्व सरकार की प्रथम क्रियाएँ

1. प्रेसीडीयम, कार्यापालक मंत्रीमण्डल व विशेष विश्व समस्याएँ आयुक्त और विश्व संसद एक कार्यक्रम को परिभाषित करेंगे जिससे सबसे महत्वपूर्ण विश्व समस्याओं पर कार्य किया जला सके।
2. इस विश्व संविधान के प्राविधानों के अनुसार, जैसा कि उपयुक्त और सम्भव हो, अस्थाई विश्व संसद विश्व समस्याओं के एजेन्डा पर कार्य करेगी और कदम उठाएगी।
3. विश्व संविधान के लगातार पारित होने की सीढ़ियों अस्थायी विश्व सरकार की संख्या बढ़ाई जाएगी और अस्थाई विश्व संसद द्वारा कानूनों को लागू करना और उनको मानना इस लिये स्चयंसेवी ढ़ग से होगा क्योकि इसके कई लाभ हैं।

4. विश्व सरकार के प्रथम कार्यान्वित चरण में अनुच्छेद 16 के सेक्शन सी-12 के अनुसार अस्थायी विश्व संसद और अस्थाई विश्व कार्यपालक उपयुक्तता और संभावना के अनुसार कुछ कार्य करेंगे।
5. सम्बन्धित कार्यों के लिये, विश्व आर्थिक विकास संस्था और विश्व निरस्तीकरण एजन्सी की स्थापना की जाएगी।
6. विश्व संसद और अस्थायी विश्व सरकार का कार्यपालक मंत्रीमण्डल विश्व सरकार के अन्य अंगों और एजन्सियों की अस्थाई रूप से स्थापना करेगा। जहाँ तक इच्छा हो और सम्भावना हो मुख्यत: जो कि अनुच्छेद 16 के सेकशन डी में बताये गये हैं।
7. गूढ़ विश्व समस्याओं के लिये कई तैयारी आयुक्तों को पुन: निर्माणित किया जा सकता है, अस्थायी विश्व सरकार के प्रशासनिक विभागों की तरह।
8. अस्थाई विश्व सरकार अपने सारे कार्यों और गतिविधियों के लिए धरती के साम्राज्य के इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

धरती के साम्राज्य का संविधान सबसे पहले विश्व संवैधानिक सभा जो कि जून, 1977 में इन्सब्रक, आस्ट्रिया में आयोजित हुई, पारित हुआ और चौथी विश्व संवैधानिक सभा जो कि ट्रोया, पुर्तगाल में मई, 1991 में आयोजित हुई जहाँ इसका संशोधन हुआ। वर्ष 1977 तथा 1991 हुई सभाओं के हस्ताक्षर अगले पुष्टों पर हैं।